प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2023-24

वाणिज्य एवं उद्योग
तथा
सार्वजनिक उपक्रम विभाग

मान्नीय उद्योग मंत्री जी को पुष्प भेंट एवं मुलाकात करते सचिव एवं संचालक महोदय

विभाग से संबंधित विभिन्न विषयों एवं योजनाओं पर समीक्षा बैठक लेते हुए
माननीय उद्योग मंत्री

प्रशासकीय प्रतिवेदन 2023-24

वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग

मंत्रालय	
विभागीय मंत्री- सार्वजनिक उपक्रम विभाग	माननीय श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छ.ग. शासन
विभागीय मंत्री- वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	माननीय श्री लखन लाल देवांगन, उद्योग मंत्री, छ.ग. शासन
सचिव (वा.उ.-रेल परियोजनाएं)	श्री पी. दयानंद, IAS
सचिव	श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक, IAS
संयुक्त सचिव	श्री आलोक त्रिवेदी
अवर सचिव	श्री मगन लाल पवार
विभागाध्यक्ष	
उद्योग संचालनालय	श्री पी. अरूण प्रसाद, संचालक, उद्योग, IFS
फर्म्स एवं संस्थाएं	श्री जनक प्रसाद पाठक, पंजीयक, IAS
वाष्पयंत्र निरीक्षकालय	श्री गुंजन शुक्ला, प्रभारी मुख्य निरीक्षक
विभाग के बोर्ड एवं निगम	
राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड	अध्यक्ष - माननीय श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
	संयोजक- श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक, IAS
छत्तीसगढ़ रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड	अध्यक्ष - श्री अमिताभ जैन, मुख्य सचिव, IAS
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	अध्यक्ष- भारसाधक सचिव प्रबंध संचालक- श्री पी. अरूण प्रसाद, IFS

सचिव महोदय, भारत सरकार, एम.एस.एम.ई. के अध्यक्षता में उद्योगों के संवर्धन के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक

दिल्ली में आयोजित आई.आई.टी.एफ., 2023 में छत्तीसगढ़ स्टॉल में दीप प्रज्जवलित करते हुए प्रमुख सचिव महोदय

	विषय सूची	पेज नं.
	भाग - 1	
1.	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	01-18
2.	उद्योग संचालनालय	19-31
3.	पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं	32-33
4.	वाष्पयंत्र निरीक्षकालय	34-37
5.	विभाग के अंतर्गत आने वाले बोर्ड/उपक्रम	
	(अ) राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड	38
	(ब) छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	39-51
6.	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (रेल परियोजनाएं प्रकोष्ठ)	52-56
7.	सार्वजनिक उपक्रम विभाग	57
	भाग - 2	
8.	बजट	58-60
	भाग - 3	
9.	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग अंतर्गत विभिन्न घटकों/ निगम/बोर्ड का स्वीकृत सेटअप	
	उद्योग संचालनालय- परिशिष्ट-एक	61-63
	पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं- परिशिष्ट- दो	64
	वाष्पयंत्र निरीक्षकालय-परिशिष्ट- तीन	65
	राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड- परिशिष्ट- चार	66
	छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड- परिशिष्ट- पांच	67-69

दिल्ली में आयोजित आई.आई.टी.एफ., 2023 में छत्तीसगढ़ स्टॉल का दृश्य

दिल्ली में आयोजित आई.आई.टी.एफ., 2023 में छ.ग. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग झांकी का एक झलक

भाग–1

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

राज्य के सर्वांगीण आर्थिक विकास में औद्योगीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योगों के विकास में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा प्रमुख दायित्व का निर्वहन किया जा रहा है। राज्य में औद्योगीकरण एवं व्यापार संवर्धन के उद्देश्य से उद्यमियों को सुविधाएं, विभिन्न छूट एवं अनुदान प्रदान कर उद्योग स्थापना व स्थापित उद्योग के विस्तार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ''प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम'', ''मुख्यमंत्री युवा स्व–रोजगार योजना'', ''स्टार्ट अप योजना'', ''प्रधानमंत्री मुद्रा योजना'', ''स्टैण्ड अप योजना'', प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) में नोडल विभाग के रूप में महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है तथा ''प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना'' में जिला स्तर पर समन्वयक का कार्य किया जा रहा है। देश–विदेश में औद्योगिक नीति का प्रचार–प्रसार कर, निवेश आकर्षित करने तथा निर्यात संवर्धन को बढ़ावा दिये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने तथा महिलाओं व तृतीय लिंग के लिए औद्योगिक नीति में विशेष प्रोत्साहन प्रदान कर राज्य के सभी वर्गों के समन्वित व समेकित विकास को आधार प्रदान किया जा रहा है।

1.1 विभाग के दायित्व

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के मुख्य दायित्व निम्नानुसार हैं–

(अ) विशेष में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय

1. व्यापार एवं वाणिज्य।
2. वस्तुओं का उत्पादन।
3. एकस्व, आविष्कार, रूपांकन, प्रतिलिप्याधिकार, व्यापार चिन्ह तथा पण्य चिन्ह।
4. शुल्क सीमांतों को पार करने वाले आयात और निर्यात।
5. महाजनी (बैंकिग) कम्पनियों को छोड़कर अन्य कंपनियां।
6. अनिर्गमित व्यापार, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक तथा अन्य संस्थाएं और संघ।
7. बीमा।
8. वाष्पयंत्र।
9. भण्डार।
10. विस्फोटक।
11. डाक घर बचत बैंक।
12. डाक तथा तार, बेतार तथा दूरभाष, जिसमें सरकारी दूरभाष (टेलीफोन) सम्मिलित नहीं हैं।

13. सीमा शुल्क जिसमें निर्यात शुल्क सम्मिलित हैं।
14. विनिमय पत्र, चेक, वचन–पत्र और ऐसीही अन्य लिखतें।
15. उद्योगों की राज्य सहायता।
16. राज्य उद्योग तथा औद्योगिक सहकारी सोसाइटियां (ग्रामोद्योग से संबंधित औद्योगिक सहकारी सोसाइटियों तथा सहकारिता विभाग की मद क्रमांक –2 को छोड़कर)
17. उद्योगों का विकास जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाएं तथा लघु उद्योग (ग्राम तथा कुटीर उद्योग को छोड़कर) हैं।
18. शासकीय केन्द्रीय कर्मशाला।
19. वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाधिपत्य, व्यापार, संघ तथा न्याय।
20. विलोपित।
21. हड्डी, हड्डी के चूरे, खाद मिश्रण और हड्डी तथा हड्डी के चूरे से बने हुए सुपर फास्फेट पर नियंत्रण ।
22. फर्नेस आइल।
23. ऐसी सेवाओं से सम्बद्ध समस्त विषय जिनका विभाग से संबंध है (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आबंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ–नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड तथा अभ्यावेदन।
24. रेल–इसमें नई रेल्वे लाईनों के प्रस्ताव और इनका निर्माण शामिल हैं।
25. सेवा क्षेत्र।

(ब) विभाग द्वारा शासित अधिनियम, नियम तथा भारत सरकार द्वारा शासित अधिनियम और नियम जिसके तहत विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है :-

1. सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित 2020)
2. औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951
3. छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 यथा संशोधित 1998
4. भारतीय (भागीदारी) अधिनियम, 1932
5. वाष्प यंत्र अधिनियम, 1923
6. छत्तीसगढ़ उद्योगों को राज्य सहायता अधिनियम, 1959.
7. छत्तीसगढ़ सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1978
8. छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम 2002

9. छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियम, 2004
10. छत्तीसगढ़ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम फेसिलिटेशन कॉउंसिल नियम, 2017
11. छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम, 2002 (यथा संशोधित 2022)
12. छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015(यथासंशोधित 2022)

(स) विभाग में प्रचलित नीतियां

1. औद्योगिक नीति 2019–24
2. छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन
3. छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता नीति 2023–28
4. ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति 2023
5. छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक नीति 2022

(द) विभाग के अधीन आने वाली सेवाओं के लिये प्रशासित सेवा नियम

1. छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग (राजपत्रित सेवा), सेवा भर्ती नियम, 1985
2. छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा भर्ती नियम, 1987
3. छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग (तृतीय वर्ग कार्यपालिक सेवा) सेवा भर्ती नियम, 2007
4. छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग तृतीय श्रेणी (लिपिक एवं अलिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2007
5. छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड सेवा भर्ती नियम, 2011
6. छत्तीसगढ़ राज्य वाष्पयंत्र निरीक्षकालय (अराजपत्रित) सेवा तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2007
7. छत्तीसगढ़ वाष्पयंत्र निरीक्षकालय चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2012
8. छत्तीसगढ़ वाष्पयंत्र निरीक्षकालय (राजपत्रित सेवा) सेवा भर्ती नियम, 2013
9. छत्तीसगढ़ फर्म्स एवं संस्थाएं (तृतीय वर्ग सेवा) सेवा भर्ती नियम, 2006
10. छत्तीसगढ़ फर्म्स एवं संस्थाएं (राजपत्रित सेवा), सेवा भर्ती नियम, 2007
11. छत्तीसगढ़ फर्म्स एवं संस्थाएं (चतुर्थ वर्ग) सेवा भर्ती नियम, 2012

(ई) सार्वजनिक उपक्रम विभाग में प्रतिपादित नीतिगत विषय -

1. नीति–क्रियान्वयन तथा सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यप्रणाली–इन दोनों से संबंधित सामान्य पथ–प्रदर्शन रेखाओं के व्यवस्थापन से सम्बद्ध विषय
2. निगमों के सर्वोपरि प्रबंधकीय पदों पर नियुक्तियां
3. निगमों की सामान्य समस्याएं
4. प्रबंध पद्धतियों, प्रबंध प्रक्रियाओं, रिर्पोटिंग पद्धतियों का समन्वयन

1.2 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी

1.

क्र.	विवरण	संख्या	रोजगार	पूंजी निवेश (रू. करोड़ में)
1	स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग (माह जनवरी, 2023 से दिसंबर, 2023 तक)	1121	11541	2078.46
2	वर्षांत तक राज्य गठन के पश्चात कुल स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग (1 नवम्बर 2000 से दिसम्बर 2023 तक)	23942	164303	10544.54

2.

क्र.	विवरण	संख्या	रोजगार	पूंजी निवेश (रू. करोड़ में)
1	स्थापित मध्यम–वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट (माह जनवरी, 2023 से दिसंबर, 2023 तक)	92	8342	2815.93
2	वर्षांत तक राज्य गठन के पश्चात कुल स्थापित मध्यम, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट (1 नवम्बर 2000 से दिसम्बर 2023 तक) (उत्पादन प्रमाण पत्र प्राप्त)	463	72383	98596.02
3	उद्योग संचालनालय के अधीन स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या (राजनांदगांव, दुर्ग, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर–चांपा, सरगुजा, कोरिया, जगदलपुर, जशपुरनगर, सूरजपुर, कोण्डागांव, नारायणपुर)	25		
4	छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के अधीन स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों की संख्या (रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, महासमुंद, कबीरधाम, सरगुजा, जांजगीर–चांपा, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, सूरजपुर, कांकेर, धमतरी, बलौदाबाजार–भाटापारा, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही)	27		

क्र.	विवरण	संख्या	रोजगार	पूंजी निवेश (रू. करोड़ में)
5	स्थापित विशिष्ट औद्योगिक पार्क 1–मेटल पार्क (फेस–1 एवं 2)–रावांभाठा, जिला–रायपुर 2– इंजीनियरिंग पार्क–भिलाई, जिला–दुर्ग 3– फूड पार्क ग्राम– बंजारी–बगौद, जिला धमतरी 4– इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, नवा रायपुर अटल नगर	04		
6	विभाग के अधीन स्थापित उत्पादन इकाईयां 1–फर्नीचर वर्क्स अभनपुर, जिला–रायपुर 2– कृषि उपकरण कारखाना भिलाई, जिला–दुर्ग	02		
7	राज्य में स्थापित वाष्पयंत्रों की संख्या	1669		
8	छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के अधीन राज्य में पंजीकृत समितियों की संख्या	1,13,057		
9	भारतीय (भागीदारी) अधिनियम, 1932 के तहत पंजीकृत फर्म संख्या	40,150		
10	छत्तीसगढ़ से निर्यात वर्ष 2023–24 (अप्रैल 2023 से नवम्बर, 2023) राशि (रू. करोड़ में)	9874.48		
11	राज्य गठन के पश्चात् से निष्पादित प्रभावी एम.ओ.यू. (ग्लोबल इन्वेस्टर मीट, 2012 में निष्पादित एम.ओ.यू. को छोड़कर) – संख्या प्रस्तावित पूंजी निवेश (रू. करोड़ में) सृजित स्थाई पूंजी निवेश (रू. करोड़ में) एम.ओ.यू. में उत्पादन प्रारंभ नवीन एवं विस्तारित परियोजनाएँ	 336 333061.00 85197.00 90		

क्र.	विवरण	संख्या	रोजगार	पूंजी निवेश (रू. करोड़ में)
12.	राज्य में रेल्वे लाईन – कुल 2636.56 कि.मी. (पूर्व स्थापित 1186 रूट कि.मी.) व नवीन 1450.56 कि.मी.]			
13.	राज्य में सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या–			25

1.3 ईज ऑफ डूईंग बिजनेस (Ease of Doing Business)

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), भारत सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा EoDB के तहत कराए जा रहे सुधारों के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य लगातार देश के शीर्ष राज्यों में शामिल रहा है।

Ease of Doing Business के तहत् उद्यमियों/निवेशकों के लिये आवश्यक सभी लायसेंस/अनुमति/सम्मति आदि के आवेदन तथा निराकरण हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की Single Window System विकसित की गई है तथा इन सेवाओं की ऑफलाईन प्रक्रिया को पूर्णतः बन्द कर केवल ऑनलाइन माध्यम से प्रदाय किया जा रहा है।

Ease of Doing Business के अन्तर्गत विभाग द्वारा लागू किये गये प्रमुख सुधार एवं अन्य विभागों से कराए गए प्रमुख सुधार निम्नानुसार हैं-

1.	उद्योग विभाग एवं सी.एस.आई.डी.सी. लिमिटेड	1. उद्योग विभाग के Single Window System के माध्यम से विभिन्न विभागों की 90 से अधिक सेवाएं ऑनलाईन संचालित है। 2. Single Window System के माध्यम से इन सभी सेवाओं हेतु आवेदन, दस्तावेज अपलोड करना, आवेदन राशि का भुगतान ऑनलाईन करना, आवेदन की स्थिति ज्ञात करना एवं स्वीकृत प्रमाण पत्र/अनुज्ञप्ति/पंजीयन आदि Online डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान की गई है। 3. "उद्यम आकांक्षा" ऑनलाईन, निःशुल्क, बिना किसी संलग्नक के एवं स्वप्रमाणन के आधार पर तुरंत जारी किये जा रहे हैं। वर्तमान में राज्य में 95450 से अधिक उद्यम आकांक्षा जारी किये जा चुके हैं।

		4. उद्योग स्थापना एवं संचालन करने हेतु आवश्यक समस्त अनुज्ञप्तियां/अनुमति/प्रमाण–पत्र आदि की जानकारी विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है। कोई भी निवेशक अपने योजना के अनुसार लगने वाले अनुज्ञप्तियां/अनुमति/प्रमाण–पत्र आदि की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकता है। 5. राज्य से संबंधित सभी अनुज्ञप्ति/अनुमति/प्रमाण पत्र आदि की जानकारी को भारत सरकार द्वारा विकसित National Single Window System में integrate किया गया हैं, जिसके माध्यम से देश तथा विदेश के निवेशक राज्य में उद्योग स्थापित करने के संबंध में समस्त आवश्यक जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। 6. उद्योग से संबंधित सभी शंकाओ के समाधान हेतु विशेष टोल फ्री नंबर–1800 233 3943 विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराया गया हैं तथा समस्याओं के निराकरण हेतु Grievance redressal प्रणाली विकसित की गई है। 7. CSIDC द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का आबंटन पूर्णतः ऑनलाईन किया जा रहा है। 8. प्रदेश में औद्योगिक इकाईयों हेतु उपलब्ध भूमि GIS पद्धति के माध्यम से देखने की सुविधा प्रदान की गई है, जिसका उपयोग करके कोई भी निवेशक पर्यावरण की दृष्टि से लाल, नारंगी, हरी या सफेद श्रेणी के उद्योगों हेतु उपलब्ध भूमि, आस–पास उपलब्ध आधारभूत सुविधाएं जैसे की सड़क, नाली, नहर, विद्युत आपूर्ति आदि की जानकारी GIS पर आधारित नक्शे में देख सकता हैं। GIS पद्धति को भारत सरकार के India Industrial Land Bank (IILB) प्रणाली से एकीकृत (integrate) भी किया गया है। 9. औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक क्षेत्रों में जल कनेक्शन आवेदनों के लिये ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है। 10. औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन से संबंधित अनुदान, छूट एवं रियायतें औद्योगिक इकाईयों को ऑनलाईन प्रणाली के माध्यम से प्रदाय की जा रही है।

		11.	सरकारी खरीद में पारदर्शिता व स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु **''ई–मानक''** पोर्टल प्रारंभ किया गया है।
		12.	सूचना की सुलभता एवं पारदर्शिता हेतु विभाग की Single Window System में पब्लिक डोमेन में प्रकरणों के निराकरण की स्थिति प्रदर्शित की जा रही है, जिसे समय–समय पर अद्यतन किया जाता है।
2.	वाष्पयंत्र निरीक्षकालय	1.	बॉयलर के पंजीयन एवं नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है।
		2.	बॉयलर नवीनीकरण के लिये सेल्फ सर्टिफिकेशन की व्यवस्था की गई है। कुल 582 बॉयलरों का नवीनीकरण सेल्फ सर्टिफिकेशन के माध्यम से किया जा चुका है।
		3.	बॉयलर उत्पादनकर्ता के पंजीयन तथा नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है।
		4.	बॉयलर निरीक्षण हेतु केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली विकसित की गई है।
		5.	थर्ड–पार्टी निरीक्षण प्रणाली की शुरूआत की जा चुकी है।
3.	नगरीय प्रशासन विभाग	1.	भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु AutoCAD पर आधारित ऑनलाईन आवेदन की प्रणाली लागू की गई है। कुल 74000से अधिक आवेदन इस प्रणाली के माध्यम से निराकृत किये गये हैं।
		2.	छत्तीसगढ़ के भवन निर्माण अनुज्ञा की ऑनलाईन प्रणाली को DPIIT द्वारा Best Practice का दर्जा दिया गया है।
		3.	भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु निरीक्षण की प्रणाली GPS पर आधारित है। यह प्रणाली लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का प्रथम राज्य है।
		4.	भवन निर्माण अनुज्ञा का Single Window System के माध्यम से अन्य विभागों के अनापत्ति प्रमाण पत्र जैसे– विमानन प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग आदि हेतु आवेदन की व्यवस्था लागू की गई है।
		5.	संपत्ति पंजीयन व संपत्ति कर गणना एवं भुगतान की ऑनलाईन व्यवस्था की गई है।

		6.	ट्रेड लायसेंस हेतु स्वतः नवीनीकरण प्रणाली की अनुमति प्रदान कर दी गई है।
		7.	लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत साईनेज लायसेंस के आवेदन हेतु समय सीमा निर्धारित की गई है।
		8.	राज्य में सभी प्रकार के जल कनेक्शन के आवेदन हेतु ऑनलाईन डैशबोर्ड प्रणाली विकसित की गई है।
		9.	सेवा हेतु थर्ड–पार्टी वेरिफिकेशन की सुविधा प्रारंभ की गई है।
4.	नगर तथा ग्राम निवेश विभाग	1.	भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु भवनों को उच्च, मध्यम एवं निम्न जोखिम के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।
		2.	भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु Auto CAD पर आधारित ऑनलाईन आवेदन की प्रणाली लागू की गई है। कुल 1720 से अधिक आवेदन इस प्रणाली के माध्यम से निराकृत किये गये हैं।
		3.	भवन निर्माण के पूरा होने के चरणों के दौरान लागू प्रमाणन के लिये थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की व्यवस्था लागू की गई है।
		4.	भूमि उपयोग परिवर्तन, निर्माण अनुमति, यूनिफार्म बिल्डिंग कोड की ऑनलाईन व्यवस्था निर्मित की जा रही है।
5.	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल	1.	जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत स्थापना सम्मति एवं संचालन सम्मति तथा परिसंकटमय अपशिष्ट नियमों के अंतर्गत अनुज्ञा, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत प्राधिकृत करने, ई–कचरा नियम 2011, प्लास्टिक कचरा नियम 2011 आदि के तहत पंजीयन हेतु आवेदन की ऑनलाईन व्यवस्था लागू की गई है।
		2.	वर्ष 2022 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत प्राधिकृत करने बैटरी नियम, 2001 के तहत डीलरों के लिये पंजीकरण हेतु आवेदन की ऑनलाईन व्यवस्था लागू की गई है।
		3.	सफेद श्रेणी के उद्योगो को उद्योग स्थापना एवं संचालन सम्मति लेने की आवश्यकता से मुक्त कर दिया गया है।

		4. जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत स्थापना सम्मति एवं संचालन सम्मति को स्व प्रमाणन के आधार पर नवीनीकरण की व्यवस्था लागू की गई है। 5. प्रथम स्थापना सम्मति एवं संचालन सम्मति की वैधता 5 वर्ष कर दी गई है। 6. नारंगी श्रेणी को नियतकालिक निरीक्षण के लिये थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की सुविधा प्रदान की गई है। 7. सफेद एवं हरा श्रेणी के उद्योगो को निरीक्षण से मुक्त कर दिया गया है। 8. जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत निरीक्षण हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया, निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज आदि की विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराई गई है। 9. जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत थर्ड–पार्टी वेरिफिकेशन प्रणाली विकसित की गई है। 10. खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार आवाजाही) नियम 2016 के लिये थर्ड–पार्टी वेरिफिकेशन प्रणाली विकसित की गई है। 11. 01/01/2020 से अब तक निम्नलिखित सेवाएं के आवेदनों को ऑनलाइन के माध्यम से निराकृत किया गया है। ● CTO: 3890 से अधिक आवेदन ● CTE: 2810 से अधिक आवेदन ● Bio Medical waste: 1640 से अधिक आवेदन ● Auto Renewal: 3620 से अधिक आवेदन

6.	श्रम विभाग	1. समस्त श्रम कानूनों के तहत एकीकृत विवरणी दाखिल की ऑनलाईन व्यवस्था लागू की गई है। 2. फैक्ट्री लायसेन्स एवं उसकी नवीनीकरण की वैधता अधिकतम 10 वर्ष की गई है। 3. उद्योगों को उच्च, मध्यम एवं निम्न जोखिम के आधार पर वर्गीकृत किया जाकर निम्न जोखिम के उद्योगों को निरीक्षण से मुक्त कर दिया गया है। 4. मध्यम जोखिम वाले उद्योगों को विभागीय निरीक्षण की अनिवार्यता से मुक्त करते हुये थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की सुविधा प्रदान की गई है। 5. अंतर राज्य प्रवासी कामगार अधिनियम, 1979 के तहत स्थापना के पंजीयन हेतु स्वतः अनुमोदन की व्यवस्था लागू की गई है। 6. समस्त श्रम कानूनों के तहत संयुक्त निरीक्षण की व्यवस्था लागू की गई है। 7. विभिन्न श्रम कानूनों के तहत निरीक्षण हेतु सम्पूर्ण प्रक्रिया, निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज आदि की विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाईट पर प्रदर्शित की गई है। 8. दुकानों एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत गुमास्ता लायसेंस हेतु निरीक्षण की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। 9. सेल्फ सर्टिफिकेशन के साथ–साथ थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड विकसित किया गया है।
7.	ऊर्जा विभाग	1. उद्योग के लिये विद्युत कनेक्शन हेतु आवश्यक दस्तावेजों की संख्या घटाकर केवल 2 कर दी गई है। 2. विभाग की वेबसाईट के माध्यम से नवीन विद्युत कनेक्शन के लिये भुगतान की जाने वाली राशि की गणना करने की सुविधा प्रारंभ की गयी है।

		3.	विद्युत कनेक्शन प्रदाय करने की समय–सीमा 7 दिवस (जहाँ राइट–ऑफ वे लेने की आवश्यकता नही है) तथा 15 दिवस (जहाँ राइट–ऑफ वे लेने की आवश्यकता है) निर्धारित की गई है।
		4.	नवीन विद्युत कनेक्शन के आवदनों की संख्या एवं प्रदाय किये गये कनेक्शनों की संख्या आदि पब्लिक डोमेन में प्रदर्शित करने हेतु ऑनलाईन डैशबोर्ड प्रणाली विकसित की गई है।
8.	पंजीयन विभाग	1.	भूमि/सम्पत्ति पंजीयन हेतु आवश्यक डीड/करार के नमूने विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराये गये है।
		2.	भूमि/सम्पत्ति पंजीयन हेतु ई–स्टॉम्प की सुविधा प्रदाय की गई है।
		3.	पंजीयन, राजस्व तथा शहरी विकास प्राधिकरण के मध्य एकीकरण कर सम्पत्ति के संबंध में तीनो विभागों से संबंधित जानकारी एक ही वेबसाईट के माध्यम से सर्च करने हेतु ऑनलाईन प्रणाली विकसित की जा रही है।
		4.	सम्पत्ति पंजीयन हेतु ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है।
		5.	विगत तीन वर्षों के समस्त भूमि पंजीयन के दस्तावेज डिजिटल किया जाकर उनकी स्कैन प्रति ऑनलाईन उपलब्ध कराई गई है। विगत दस वर्षों के दस्तावेज डिजिटल करने की कार्यवाही की जा रही है।
		6.	सम्पत्ति पंजीयन हेतु पैन/आधार नंबर के द्वारा सत्यापन की सुविधा लागू की गई है।
		7.	नामांतरण की सुविधा को पंजीयन से एकीकृत कर नामांतरण की प्रक्रिया को सरल किया गया है।
		8.	पंजीयन हेतु सम्पत्ति के मूल्यांकन के अनुसार लागू पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क की गणना वेबसाईट के माध्यम से की जा सकती है।

		9.	डीड का पंजीयन एक दिवस के आधार पर जारी करने की सुविधा आरंभ कर दी गई है।
		10.	संपत्ति पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करने और अनुमोदन को पब्लिक डोमेन में प्रदर्शित करने हेतु एक ऑनलाईन डैशबोर्ड प्रणाली विकसित की गई है।
		11.	रजिस्ट्री ऑफिस में आवेदनकर्ता को होने वाली असुविधा की शिकायत ऑनलाईन दर्ज करने हेतु सुविधा विकसित की गई है।
9.	वाणिज्यिक कर विभाग	1.	जी.एस.टी के अंतर्गत करदाता द्वारा दाखिल किये जाने वाले ई–फाईलिंग के संबंध में सहयोग हेतु हेल्पलाईन नंबर तथा प्रत्येक जिले में सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है।
		2.	स्टेट जी.एस.टी. (SGST) के अंतर्गत Advance Ruling हेतु Appellate का गठन तथा आवेदन के संबंध में समस्त जानकारी विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध कराई गई है।
10.	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग	1.	उद्योग स्थापना हेतु वृक्ष कटाई के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन व्यवस्था लागू की गई है।
		2.	वृक्ष कटाई के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन ऑनलाईन अपलोड करने की समय सीमा घटाकर 48 घंटे की गई एवं निरीक्षण प्रतिवेदन आवेदक को भी ऑनलाईन देखने की सुविधा प्रदान की गई है।
		3.	वृक्ष की प्रजातियों के आधार पर उच्च, मध्यम एवं निम्न जोखिम की श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है।
		4.	भूमि संबंधी विवादों की न्यायिक डेटाबेस (राजस्व) के साथ भूमि रिकार्ड डेटाबेस को एकीकृत किया गया है, जिसके माध्यम से किसी भूमि पर चल रहे विवाद की स्थिति स्वतः ऑनलाईन अपडेट करने की सुविधा लागू की गई है।
		5.	व्यपवर्तन प्रकरणों के निराकरण को सरलीकृत करते हुए कृषि भूमि का गैर कृषि भूमि में परिवर्तन (औद्योगिक प्रयोजन व अन्य) हेतु सक्षम प्राधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अधिसूचित किया गया है।

11.	विधि विभाग	1. वाणिज्यिक विवादों की सुनवाई के लिये छत्तीसगढ़ राज्य में देश का प्रथम वाणिज्यिक न्यायालय की स्थापना की गई है। 2. वाणिज्यिक न्यायालय अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। 3. ई–फाईलिंग एवं ई–सम्मन की सुविधा भी वाणिज्यिक न्यायालय में लागू की गई है एवं न्यायिक फैसले डिजिटल साईन के माध्यम से जारी किये जा रहे हैं, जो कि वाणिज्यिक न्यायालय की वेबसाईट पर भी उपलब्ध हैं। 4. ई–फाईलिंग हेतु कोर्ट फीस तथा प्रोसेस फीस का भुगतान ऑनलाईन करने की सुविधा लागू की गई है। 5. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 से संबंधित आवेदनों का समय–सीमा में निराकरण हेतु प्रणाली विकसित की गई है। 6. स्व–प्रमाणीकरण की व्यवस्था को अनुमति प्रदान कर दी गई है। 7. थर्ड–पार्टी निरीक्षण प्रणाली की शुरूआत की जा चुकी है।
12.	वन विभाग	1. काष्ठ परिवहन की अनुमति हेतु ऑनलाईन प्रणाली लागू की गयी है। 2. काष्ठ परिवहन की अनुमति की वैधता के ऑनलाईन सत्यापन की सुविधा प्रारंभ की गयी है। 3. शासकीय काष्ठगार हेतु काष्ठ परिवहन के अनुज्ञा पत्र की कुल 4201 आवेदन का निराकरण ऑनलाईन प्रणाली के माध्यम से किया जा चुका है। 4. पंजीकृत व्यापारी/विनिर्माता हेतु काष्ठ परिवहन के अनुज्ञा पत्र की कुल 3000 आवेदन का निराकरण ऑनलाईन प्रणाली के माध्यम से किया जा चुका है।
13.	नापतौल विभाग	1. नापतौल विभाग के अंतर्गत पंजीयन हेतु ऑनलाईन प्रणाली प्रारंभ की गयी है। 2. पंजीयन प्रमाण–पत्र की वैधता के ऑनलाईन सत्यापन की सुविधा प्रारंभ की गयी है। 3. निरीक्षण प्रतिवेदन 48 घंटे के भीतर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है।

14.	लोक निर्माण विभाग		सड़क काटने की अनुमति हेतु ऑनलाईन प्रणाली विकसित की गई है। कुल 27 से अधिक आवेदन ऑनलाईन प्रणाली के माध्यम से प्राप्त हुये हैं।
15.	खाद्य एवं औषधि विभाग	1.	औषधि निर्माण एवं विक्रय की अनुमति हेतु ऑनलाईन प्रणाली लागू की गयी है।
		2.	थोक एवं विनिर्माण औषध लायसेंस हेतु स्व–नवीनीकरण की व्यवस्था को अनुमति प्रदान की गई है।
		3.	कुल 38240 से अधिक आवेदनों ऑनलाईन माध्यम से जारी किया जा चुका है।
16.	वित्त विभाग (कोष एवं लेखा)		राज्य में लगने वाले समस्त करों की जानकारी एवं उनके ऑनलाईन भुगतान, ऑनलाईन रिटर्न फाइल करने की सुविधा हेतु पोर्टल विकसित किया गया है, जिसकी सहायता से आवदकों/ करदाताओं को सारी जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध होगी।
17.	मुख्य विद्युत निरीक्षकालय	1.	मुख्य विद्युत निरीक्षकालय के अंतर्गत समस्त पंजीयन के लिये ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है।
		2.	चार्जिंग अनुमति हेतु मुख्य विद्युत निरीक्षक की ऑनलाईन प्रणाली को सीएसपीडीसीएल की वेबसाईट से संयोजित किया गया है।
		3.	लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 से संबंधित आवेदनों का समय–सीमा में निराकरण हेतु प्रणाली विकसित की गई है।
		4.	थर्ड–पार्टी निरीक्षण प्रणाली की शुरूआत की जा चुकी है।
		5.	पंजीकरण एवं नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन डैशबोर्ड प्रणाली विकसित की गई है।
18.	रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएँ	1.	साझेदारी फर्म्स एवं संस्थाओं के पंजीयन के लिये ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है। कुल 38200 से अधिक आवेदनों का निराकरण ऑनलाईन किया जा चुका है।
		2.	लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 से संबंधित आवेदनों का समय–सीमा में निराकरण हेतु प्रणाली विकसित की गई है।
		3.	थर्ड–पार्टी निरीक्षण प्रणाली की शुरूआत की जा चुकी है।

19.	आबकारी विभाग	1.	FL-2/ FL-3 / FL-3(A) / FL-3(C) / FL-4 / FL-4(A) / FL-9 /FL-9(A) / D-1 / CS-1 / CS-1B / B-1 / W-3 FL-10 / FL10-A / FL10-B / CS1-C/IMFL तथा Retail Shops लायसेंस के लिये ऑनलाईन प्रणाली लागू की गई है।
		2.	एण्ड टू एण्ड आवेदनों के निराकरण हेतु स्थल निरीक्षण की बाध्यता को समाप्त किया गया है।
		3.	लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 से संबंधित आवेदनों का समय–सीमा में निराकरण हेतु प्रणाली विकसित की गई है।
		4.	योग्य पंजीकरण में कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं होने की स्थिति में स्व–प्रमाणन की अनुमति प्रदान की गई है।
		5.	थर्ड–पार्टी निरीक्षण प्रणाली की शुरूआत की जा चुकी है।
20.	केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली	1.	औद्योगिक इकाईयों में विभिन्न विभागों द्वारा संपादित किए जाने वाले निरीक्षण में पारदर्शिता एवं जानकारी साझा करने के उद्देश्य से केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली लागू की गई है, जिसमें बॉयलर, श्रम विभाग एवं पर्यावरण विभाग को शामिल किया गया है।
		2.	उपरोक्त विभागों द्वारा संपादित किए जाने वाले निरीक्षण की तिथि, निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम आदि की जानकारी श्रम विभाग के केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली के पोर्टल पर उपलब्ध है।
		3.	सभी निरीक्षण प्रतिवेदन 24 घंटे के भीतर केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली के पोर्टल पर अपलोड करने की अनिवार्यता की गई है।
		4.	निरीक्षण के बिन्दु, निरीक्षण प्रक्रिया आदि की जानकारी केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली के पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है।
		5.	आकस्मिक निरीक्षण हेतु विभागाध्यक्ष से पूर्वानुमति लेना अनिवार्य किया जा रहा है।
21.	गृह विभाग	1.	फायर लायसेंस एवं सिनेमा हॉल लायसेंस ऑनलाईन प्रदाय हेतु ई–डिस्ट्रिक के माध्यम से प्रणाली विकसित की गई है।

		2.	फायर लायसेंस एवं सिनेमा हॉल लायसेंस से संबंधित एनओसी हेतु उद्योग विभाग के सिंगल विंडो प्रणाली से जोड़ा गया है।
		3.	लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 से संबंधित आवेदनों का समय–सीमा में निराकरण हेतु प्रणाली विकसित की गई है।
		4.	थर्ड–पार्टी निरीक्षण प्रणाली की शुरूआत की जा चुकी है।
22.	संस्कृति विभाग	1.	मूवी शुटिंग लायसेंस प्रदाय हेतु ऑनलाईन प्रणाली विकसित की गई है। जिसमें नगरीय प्रशासन, जिला प्रशासन तथा संस्कृति विभाग संयुक्त रूप से एकल प्रणाली द्वारा निर्णय प्रदान करेंगे।
		2.	राज्य द्वारा संरक्षित मोनुमेन्ट स्थल के अंतर्गत मूवी शुटिंग हेतु लायसेंस की ऑनलाईन प्रणाली विकसित की गई है।
		3.	लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 से संबंधित आवेदनों का समय–सीमा में निराकरण हेतु प्रणाली विकसित की गई है।
		4.	थर्ड–पार्टी निरीक्षण प्रणाली की शुरूआत की जा चुकी है।
		5.	किसी भी प्रकार की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु जिला कलेक्टर को नामांकित किया गया है।
22.	परिवहन विभाग	1.	ट्रैव्हल्स एजेंसी के पंजीकरण एवं नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन प्रणाली विकसित की गई है।
		2.	लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 से संबंधित आवेदनों का समय–सीमा में निराकरण हेतु प्रणाली विकसित की गई है।
		3.	थर्ड–पार्टी निरीक्षण प्रणाली की शुरूआत की जा चुकी है।

1.4 विभागीय संरचना एवं अधीनस्थ कार्यालय, निगम/बोर्ड

क्र.	कार्यालय का नाम	श्रेणी	पता
1.	उद्योग संचालनालय	विभागाध्यक्ष	उद्योग भवन, रिंग रोड नं. 1, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़
2.	राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड	बोर्ड	उद्योग भवन, रिंग रोड नं. 1, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़
3.	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम	निगम	उद्योग भवन, रिंग रोड नं. 1, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़
4.	वाष्पयंत्र निरीक्षकालय	विभागाध्यक्ष	उद्योग भवन, रिंग रोड नं. 1, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़
5.	पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं	विभागाध्यक्ष	इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़
6.	छत्तीसगढ़ रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	रायपुरा, महादेवघाट रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़

राज्य में स्थापित स्टील उत्पाद आधारित औद्योगिक संयंत्र

उद्योग संचालनालय

उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में स्थापित एवं कार्यरत है। इस कार्यालय के प्रमुख संचालक/आयुक्त स्तर के अधिकारी होते है तथा इसके अंतर्गत राज्य के 33 जिलों में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कार्यरत है। मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के कार्यालय प्रमुख हैं। संचालनालय एवं इसके मैदानी कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्रों की पद संरचना **परिशिष्ट–एक** पर दर्शित है।

राज्य शासन की प्रचलित औद्योगिक नीति 2019–24 का क्रियान्वयन ''उद्योग संचालनालय'', ''छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड'' एवं ''राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड'' के माध्यम से होता है। शासन के विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों तथा औद्योगिक जगत के बीच सतत् समन्वय, सुझावों के आदान–प्रदान से औद्योगिक तथा वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हुए प्रदेश की औद्योगिक स्थिति को सुदृढ़ करने में योगदान दिया जा रहा है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम तथा आनुषांगिक औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रदाय की गयी सामग्री का भुगतान एक निर्धारित समयावधि में करने हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 02 अक्टूबर 2006 से लागू "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006" के अधीनस्थ उद्योग संचालनालय में गठित "छत्तीसगढ़ सूक्ष्म एवं लघु फेसीलिटेशन कौंसिल" कार्य कर रही है।

विभाग तथा उसके अन्तर्गत उद्योग संचालनालय, समस्त जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0, वाष्पयंत्र निरीक्षकालय, रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं तथा छत्तीसगढ़ रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू है।

संचालनालय द्वारा वित्तीय समावेशन योजनाओं, ''प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम'', ''मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना'', ''प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना'', ''स्टार्टअप योजना'', ''स्टैण्ड–अप योजना'', ''प्रधानमंत्री मुद्रा योजना'', ''प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना''का क्रियान्वयन एवं समन्वय कर प्रदेश में पूंजी निवेश एवं रोजगार का सृजन किया जा रहा है।

(1) औद्योगिक नीति 2019-24

नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य की भौगोलिक स्थिति का अधिकतम लाभ लेकर उपभोक्ता वस्तुओं का किफायती दरों पर उत्पादन करना, जिससे राज्य का संतुलित व समेकित विकास सुनिश्चित हो। अन्य राज्यों की तुलना में अधिकतम निवेशकों को आकर्षित करना है। राज्य में उपलब्ध वन आधारित संसाधन, वनोपज एवं औषधीय उत्पादों में मूल्य संवर्धन हेतु ''इको सिस्टम'' तैयार कराना है। उच्च प्राथमिकता/प्राथमिकता श्रेणी के अधिकाधिक उद्योगों की स्थापना कराना है। राज्य के युवाओं के लिए

रोजगार एवं स्वरोजगार के अधिकाधिक नए अवसर उपलब्ध कराना, कमजोर वर्ग के उद्यमियों, भूतपूर्व सैनिकों एवं महिलाओं की आर्थिक उन्नति एवं आर्थिक सशक्तिकरण, स्थानीय उद्योगों के आवश्यकता हेतु प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। टेक्सटाईल, फार्मा उद्योग, रोबोटिक्स तकनीक के उद्योग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी के उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा उद्योग तथा जैव प्रौद्योगिकी जैसे आधुनिक युग के उद्योग एवं अपरम्परागत ऊर्जा के क्षेत्र में अधिकाधिक निवेश को आकर्षित करना। राज्य में उपलब्ध खनिज संपदा का उपयोगितापूर्ण समुचित दोहन, सुदूर अंचलों में उन्नत कृषि को प्रोत्साहित करना एवं अनाज तथा अन्य उत्पादों के प्रसंस्करण एवं भंडारण को प्रोत्साहित करना। राज्य का सर्वांगीण आर्थिक विकास, प्रदूषण रहित उद्योगों की स्थापना पर विशेष प्रोत्साहन, निर्यात प्रोत्साहन, पर्यावरण की सुरक्षा, जेम्स एण्ड ज्वेलरी उद्योगों को प्रोत्साहन एवं लॉजिस्टिक सुविधाओं का विकास करने संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु औद्योगिक नीति 2019–24 को दिनांक 1 नवम्बर, 2019 से प्रभावी की गयी है।

इस नीति के अंतर्गत समग्र औद्योगिक विकास के लक्ष्य हेतु राज्य को औद्योगिक दृष्टि से चार वर्गों **''विकसित क्षेत्र'', ''विकासशील क्षेत्र'', ''पिछड़े क्षेत्र'' व ''अति पिछड़े क्षेत्र''** में वर्गीकृत किया गया है। राज्य के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों के सभी विकासखण्डों को पिछड़े या अति पिछड़े क्षेत्र में रखा गया है। इन क्षेत्रों हेतु अधिक आर्थिक प्रोत्साहन देकर, निवेश को इन क्षेत्रों में आकर्षित किया जा रहा है। साथ ही संतृप्त श्रेणी के कुछ उद्योगों को इन क्षेत्रों में संतृप्त श्रेणी से बाहर रखा गया है।

राज्य के मूल निवासियों को रोजगार के अधिकाधिक अवसर प्रदान करने हेतु, शासन द्वारा औद्योगिक इकाईयों को दिये जाने वाले अनुदान, छूट एवं रियायतों को प्राप्त करने की पात्रता हेतु अकुशल श्रमिकों के मामले में 100 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों के मामले में न्यूनतम 70 प्रतिशत तथा प्रशासकीय/प्रबंधकीय पदों पर न्यूनतम 40 प्रतिशत रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय करने की शर्त का पालन करवाया जा रहा है।

कृषि प्रधान राज्य में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने प्रत्येक विकासखण्ड में फूड पार्क की स्थापना की जा रही है। निजी क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु भी एक आकर्षक प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। प्रत्येक जिले में उत्पादित होने वाले प्रमुख फूलों, फलों, सब्जियों एवं औषधीय वनस्पतियों के प्रसंस्करण हेतु उन्हीं जिलों में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। साथ ही एफपीओ (Farmer Producers Organisations) को सामान्य वर्ग में उद्यमियों के समान सुविधाएं दी जा रही है। महिला स्व–सहायता समूह को महिला वर्ग के उद्यमियों के बराबर सुविधाएं प्राप्त होंगी।

राज्य के हस्तशिल्प, हथकरघा, वस्त्र, धातु उत्पादों और सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को बढ़ावा देने उनके विपणन हेतु छत्तीसगढ़ ई–मार्केटिंग पोर्टल **''ई–मानक (E-MaNe-C)''** की शुरूआत की गई है।

साथ ही सेवा उद्यमों को प्रोत्साहन देने एमएसएमई सेवा उद्यमों को निवेश प्रोत्साहन अनुदान दिया जा रहा है। राज्य के आधारभूत (कोर सेक्टर) उद्योगों जैसे सीमेंट एवं इस्पात निर्माण को पिछड़े/अति पिछड़े क्षेत्र में समर्थन प्रदान कर राज्य को सतत् प्रगति की ओर अग्रसर किया जा रहा है।

औद्योगिक नीति 2019–24 में वनोपज, हर्बल तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के निर्माण को पिछड़े तथा अति पिछड़े क्षेत्रों में बढ़ावा देने हेतु औद्योगिक नीति 2019–24 में **वनांचल उद्योग पैकेज** का समावेश किया गया है।

निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु संपूर्ण राज्य में न्यूनतम भूमि की आवश्यकता पूर्व नीति में 25 एकड़ थी। बस्तर व सरगुजा के पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि उपलब्धता की समस्या को देखते हुए वर्तमान नीति में इसे सरगुजा एवं बस्तर संभाग हेतु 20 एकड़ किया गया है।

छततीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति 2019–24 में स्टार्टअप इकाईयों को प्रोत्साहित करने हेतु **छत्तीसगढ़ राज्य स्टार्टअप पैकेज** योजना लागू की गई है। जिससे छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप इकाईयों को अनुदान, छूट एवं रियायतें प्रदान कर विशेष पैकेज के तहत अधिक लाभान्वित किया जावेगा।

छततीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति 2019–24 में **अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों हेतु अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग हेतु विशेष औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन** पैकेज लागू की गई है। जिसमें अनुदान, छूट एवं रियायतों के साथ–साथ मार्जिन मनी प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

कोर सेक्टर के उद्योगों (यथा स्टील संयंत्र, सीमेंट संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र एवं एल्यूमिनियम संयंत्र) को औद्योगिक नीति 2019–24 में स्टाम्प शुल्क छूट, विद्युत शुल्क छूट, दिव्यांग रोजगार अनुदान प्रदान किए जा रहे हैं। इन उद्योगों को उनकी मांग अनुसार प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत Be Spoke policy लागू की गई है।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन

भारत सरकार द्वारा 01 अप्रैल, 2016 से ''नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग'' योजना को डिलिंक करने के कारण राज्य शासन द्वारा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत एक नयी योजना **''छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन''** राज्य में प्रभावशील है। इस योजना की कालावधि 31 अक्टूबर 2019 तक थी, जिसे राज्य शासन द्वारा लागू की गयी नवीन औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत **''छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन''** योजना की कालावधि को 01 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024 तक बढ़ाया गया है। जिसके तहत कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

(3) छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता नीति 2023-28

राज्य की महिलाओं की सहभागिता उद्यम में सुनिश्चित करने, उद्यम स्थापित कर आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य शासन द्वारा औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत **छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता नीति 2023–28** लागू की गई है। यह नीति दिनांक 01.04.2023 से 05 वर्ष अर्थात दिनांक 31.03.2028 तक की अवधि हेतु लागू है।

(4) ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति 2023-24

राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि पर निर्भरता को कम करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले कृषि, उद्यानिकी एवं वनोपज उत्पादों को स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्धन किये जाने के उद्देश्य से **ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति 2023–24** लागू किया गया है। यह नीति दिनांक 01.04.2023 से दिनांक 31.10.2024 तक की अवधि हेतु लागू है।

(5) विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज क्रियान्वयन नियम-2019

औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत एवं नीति के विभिन्न प्रावधानों के अनुसरण में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के माध्यम से राज्य में वृहद, मेगा, अल्ट्रामेगा उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए समय–समय पर जारी की गई अधिसूचनाओं के द्वारा घोषित विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज के क्रियान्वयन तथा बी–स्पोक पालिसी पैकेज को लागू किये जाने हेतु **विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज कियान्वयन नियम–2019** लागू किया गया है।

(6) छत्तीसगढ़ राज्य बंद एवं बीमार उद्योगो हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति-2019

राज्य में स्थापित किन्तु बंद एवं बीमार उद्योगों में निवेशित राशि के राज्य हित में सदुपयोग की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य बंद एवं बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति–2019 लागू किया गया है जिसके अंतर्गत बंद एवं बीमार उद्योगों के पुर्नसंचालन एवं पुर्नवास पैकेज अंतर्गत स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट, पंजीयन शुल्क से पूर्ण छूट, औद्योगिक क्षेत्रों/लैण्ड बैंक में उद्योग स्थापित होने की दशा में वर्तमान में प्रचलित भू–प्रब्याजी का 15 प्रतिशत के स्थान पर 05 प्रतिशत की दर से भू–हस्तांतरण शुल्क, ब्याज अनुदान, स्थायी पूंजी निवेश अनुदान एवं अन्य अनुदान/छूट प्रदान किया जाता है।

(7) छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक नीति-2022

राज्य में औद्योगिक विकास के समानान्तर वाणिज्यिक विकास को बढ़ावा देने औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत ''छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक नीति 2022'' लागू

किया गया है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य में उपलब्ध खनिज संपदा का उपयोगिता पूर्ण समुचित दोहन, सुदूर अंचलों में उन्नत कृषि को प्रोत्साहित करना एवं अनाज तथा अन्य उत्पादों के प्रसंस्करण एवं भण्डारण को प्रोत्साहित करना है।

इसके अंतर्गत ब्याज अनुदान, स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, विद्युत शुल्क से छूट, स्टाम्प शुल्क से छूट एवं अन्य अनुदान/छूट प्रदान किया जाता है।

(8) वर्ष 2023-24 में जारी अधिसूचनाएं एवं आदेश

क्र	विषय	अधिसूचना/प्रशासकीय आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम–2019 में संशोधन	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20–52/2019/11/6, दिनांक 27.01.2023
2.	छत्तीसगढ़ राज्य बंद एवं बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2019	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20–103/2015/11/(6), दिनांक 01.03.2023
3.	ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति 2023–24	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20–07/2023/11/6, दिनांक 01.03.2023
4.	छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक नीति–2022	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20–41/2022/11/(6), दिनांक 01.03.2023
5.	छत्तीसगढ़ महिला उद्यमिता नीति 2023–28	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20–01/2019/11/(6), दिनांक 31.03.2023
6.	छत्तीसगढ़ राज्य बंद एवं बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2019 के अंतर्गत बंद एवं बीमार उद्योगो के पुर्नसंचालन तथा पुर्नवास हेतु स्टाम्प शुल्क छूट एवं पंजीयन शुल्क छूट	वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10–46/2019/वा.क.(पं.)/पांच(28) दिनांक 21.07.2023
7.	औद्योगिक नीति 2019–24 में संशोधन	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20–01/2019/11/6, दिनांक 27.07.2023
8.	विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज क्रियान्वयन नियम–2019	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20–36/2022/11/(6), दिनांक 27.07.2023
9.	छत्तीसगढ़ राज्य परिवहन अनुदान (केवल निर्यातोन्मुख उद्योगों हेतु) नियम–2019 में संशोधन	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20–68/2019/11/(6), दिनांक 29.09.2023

(9) वित्तीय वर्ष 2023-24 में (अप्रैल 2023 से दिसंबर, 2023 तक) औद्योगिक विकास से संबंधित उपलब्धियां

9.1 वर्ष के दौरान सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद उद्योग तथा मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट -

क्रं.	विवरण	संख्या	पूंजी विनियोजन (रू0 करोड़ में)	रोजगार
1.	स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग (उत्पादन प्रमाण पत्र प्राप्त उद्योग)	1121	2078.46	11541
2.	स्थापित मध्यम–वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट (उत्पादन प्रमाण पत्र प्राप्त उद्योग)	92	2815.93	8342

9.2 वर्षांत तक राज्य में स्थापित कुल उद्योगों की एकजाई जानकारी -

क्र.	विवरण	संख्या	पूंजी विनियोजन (रू0 करोड़ में)	रोजगार
1.	वर्षांत तक राज्य गठन के पश्चात् कुल स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योग	23942	10544.54	164303
2.	वर्षांत तक राज्य में कुल स्थापित मध्यम–वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट	463	98596.02	72383

9.3 प्रस्तावित पूंजी निवेश की स्थिति -

वृहद, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा उद्योगों की स्थापना हेतु जनवरी, 2023 से जून 2023 तक भारत शासन, उद्योग मंत्रालय में प्रस्तुत औद्योगिक उद्यमियों का ज्ञापन (आई.ई.एम.)–

आई.ई.एम. की संख्या	प्रस्तावित पूंजी निवेश (रू0 करोड़ में)
17	4651

9.4 वर्ष 2023-24(अप्रैल, 2023 से दिसंबर, 2023 तक) में औद्योगिक इकाइयों को प्रदाय/वितरित की गयी अनुदान, छूट व रियायतें -

क्र.	विवरण	इकाईयों की संख्या
1.	ब्याज अनुदान	1111
2.	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान	722
3.	मार्जिन मनी अनुदान	17

क्र.	विवरण	इकाईयों की संख्या
1.	छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन के अंतर्गत अनुदान	09
2.	स्टाम्प शुल्क भुगतान से छूट प्रमाण–पत्र	687
3.	विद्युत शुल्क से छूट हेतु अनुशंसा पत्र	108
4.	प्राथमिकता उद्योग मान्यता प्रमाण पत्र	81
5.	वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र जारी (ऑनलाईन)	1213
6.	मण्डी शुल्क से छूट	9
7.	अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्रों में भू–आबंटन पर भू–प्रीमियम में छूट/रियायत	5
8.	परियोजना प्रतिवेदन अनुदान	23
9.	भू– उपयोग में परिवर्तन शुल्क से छूट	2

9.5 वर्ष 2023-24 (अप्रैल, 2023 से दिसंबर, 2023 तक) उद्योगों हेतु आबंटित अनुदान -

क्र.	अनुदान का विवरण	कुल आबंटित राशि (राशि रू. लाख में)
1.	ब्याज अनुदान	3483.33
2.	स्थायी पूंजी निवेश अनुदान	22800.00
3.	मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान	70.00
4.	खाद्य प्रसंस्करण सहायता अनुदान	1300.00
5.	औद्योगिक पार्कों के लिये अनुदान	1000.00
6.	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लिये अनुदान	200.00

9.6 सेमीनार/वर्कशॉप/संगोष्ठियों का आयोजन :-

शासन की विभिन्न स्व–रोजगार मूलक योजनाएं जैसे– मुख्यमंत्री युवा स्व–रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्टार्ट–अप योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जानकारी एवं उद्योग स्थापना हेतु राज्य में लागू ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के अंतर्गत राज्य में विभिन्न जिलों के विकासखण्ड स्तर पर सेमीनार/कार्यशाला/संगोष्ठी एवं रोजगार मेला का आयोजन किया गया।

नई दिल्ली में आयोजित 42वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में स्वच्छता के मामले में विभाग को पुरस्कार प्राप्त हुआ है तथा स्टार्टअप के संवर्धन हेतु राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

9.7 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन :-

भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 लागू किया गया है। यह अधिनियम 02 अक्टूबर, 2006 से प्रभावशील है। इस अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.06.2020 को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की परिभाषाएं संशोधित की गयी है जिसके अनुसार इन उद्यमों में यंत्र एवं संयंत्र में निवेश सीमा क्रमशः 01 करोड़, 10 करोड़ तक एवं 50 करोड़ तक तथा टर्न ओवर क्रमशः 5 करोड़ तक, 50 करोड़ तक एवं 250 करोड़ तक की गयी है।

किन्तु राज्य में वर्तमान में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की पुरानी परिभाषा को ही मान्य किया गया है। जिसके अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम में यंत्र एवं संयंत्र में निवेश सीमा क्रमशः 25.00 लाख तक, 25.00 लाख से 5.00 करोड़ तक एवं 5.00 करोड़ से 10.00 करोड़ तक है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 2576 (ई) दिनांक 18.09.2016 से उद्योग आधार ज्ञापन दाखिल करने की व्यवस्था लागू की है, इस अधिसूचना से राज्य में ई.एम. पार्ट–1 एवं ई. एम. पार्ट–2 दाखिल करने संबंधी व्यवस्था समाप्त हो गयी है।

राज्य शासन ने औद्योगिक नीति व अन्य नीतियों में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अधिसूचित अभिलेख ई.एम. पार्ट–1 के स्थान पर राज्य में ''उद्यम आकांक्षा'' (Udyam Aakanksha) दाखिल करने की ऑनलाईन व्यवस्था दिनांक 18.09.2016 से प्रभावशील है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं/सामग्रियों की आपूर्ति के पश्चात् क्रेताओं द्वारा समय पर भुगतान न करने अथवा भुगतान संबंधित विवादों के निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 20–10/2007/11/(6), दिनांक 29.08.2022 के तहत नवीन दो वर्षीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल का गठन किया गया है। काउंसिल के अध्यक्ष संचालक उद्योग तथा 4 अन्य वित्त एवं आर्थिक क्रियाकलापों के विशेषज्ञ होते हैं। विवादों के निराकरण की प्रक्रिया सतत रूप से निरंतर रहती है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल 86 प्रकरणों का निपटारा किया गया है, जिसमें रू. 25.43 करोड़ का अवार्ड पारित किया गया।

9.8 स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति (अप्रैल, 2023 से दिसम्बर, 2023 तक) :-

(9.8.1) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम-

1. भौतिक लक्ष्य– 1024, वित्तीय लक्ष्य– 3413.36 लाख
2. स्वीकृत प्रकरण– 1402, स्वीकृति मार्जिन मनी राशि रू.– 4751.66 लाख
3. मार्जिन मनी वितरित– 668, वितरित मार्जिन मनी राशि रू. – 2159.61 लाख

(9.8.2) मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना -

1. भौतिक लक्ष्य–600, वित्तीय लक्ष्य– 301.00 लाख
2. ऋण स्वीकृति प्रकरण–519 स्वीकृत मार्जिन मनी– 167.1 लाख
3. ऋण वितरित प्रकरण–85 , वितरित मार्जिन मनी– 26.35 लाख

(9.8.3) स्टैण्ड-अप इंडिया योजना -राज्य में प्रत्येक बैंक शाखाओं को न्यूनतम 2 प्रकरणों में ऋण वितरण का लक्ष्य रख गया है।

1. ऋण स्वीकृति प्रकरण– 253 स्वीकृत राशि– 7138.47 लाख
2. ऋण वितरित प्रकरण– 171, वितरित राशि– 3351.80 लाख

(9.8.4) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना-

भौतिक लक्ष्यः– 760991 वित्तीय लक्ष्यः– 7006.75 करोड़

(राशि करोड़ में)

शिशु (रू. 50,000)			किशोर (रू 50,001 से रू. 5.00 लाख)			तरूण (रू. 5.00 लाख से रू. 10.00 लाख)			कुल			उपलब्धि(%)	
खाता संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि	खाता संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि	खाता संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि	खाता संख्या	स्वीकृत राशि	वितरित राशि	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (1+4+7)	11 (2+5+8)	12 (3+6+9)	13	14
372987	1306.60	1286.41	177477	2487.51	2206.48	15820	1305.21	1251.55	566284	5099.32	4744.44	74.41	72.77

(9.8.5) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना -

1. भौतिक लक्ष्य–2082 (Cumulative)
2. ऋण स्वीकृति प्रकरण–497 स्वीकृत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी–20.01 करोड़
3. वितरित प्रकरण–254, वितरित क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी–8.93 करोड़

(9.8.6) छत्तीसगढ़ स्टार्ट-अप योजना-

1. भारत सरकार के डी.पी.आई.आई.टी. (उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग) द्वारा हाल ही में जारी की गई रैंकिंग में छत्तीसगढ़ राज्य को प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास हेतु "एस्पायरिंग लीडर" के रूप में सम्मानित किया गया। लगातार प्रयास से राज्य में स्टार्ट–अप इकोसिस्टम का विकास हुआ है तथा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त राज्य के स्टार्ट–अप की संख्या दिसंबर 2023 की स्थिति में 1203 हो चुकी है।

2. स्टार्ट–अप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने हेतु औद्योगिक नीति 2019–24 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य स्टार्टअप पैकेज लागू किया गया है।

(10) उद्योग संचालनालय के अधीन विभिन्न जिलों में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र (हेक्टेयर में)

क्र.	जिला	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल भूमि (हे. में)	आबंटन योग्य भूमि (हे. में)	आबंटित भूमि (हे. में)
1	2	3	4	5	6
औद्योगिक क्षेत्र (100 हेक्टेयर से अधिक)					
1	दुर्ग	भारी औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई	550.372	162.532	162.532
2	दुर्ग	हल्का औद्योगिक क्षेत्र, भिलाई	289.812	185.808	185.808
औद्योगिक क्षेत्र (50 हेक्टेयर से 100 हेक्टेयर तक)					
3	दुर्ग	औद्योगिक संस्थान भिलाई	89.649	82.613	82.613
4	जगदलपुर	औद्योगिक क्षेत्र, कुरन्दी	74.750	8.387	8.387
औद्योगिक क्षेत्र (50 हेक्टेयर तक)					
5	कोरबा	औद्योगिक क्षेत्र, कोरबा	40.000	22.457	22.457
6	दुर्ग	औद्योगिक संस्थान, दुर्ग	21.736	16.313	16.313
7	दुर्ग	औद्योगिक क्षेत्र,ग्राम बोड़ेगांव	8.158	5.061	5.061
8	रायगढ़	अर्द्धशहरीय औद्योगिक संस्थान, रायगढ़	9.860	5.202	5.202
9	रायगढ़	ग्रामीण कर्मशाला पुसौर	0.942	0.418	0.418
10	जांजगीर–चांपा	औद्योगिक क्षेत्र, कोरबा रोड चांपा	8.720	5.090	5.090
11	जगदलपुर	औद्योगिक क्षेत्र, गीदम रोड़	13.658	10.567	10.567
12	जगदलपुर	अर्द्धशहरीय औद्योगिक संस्थान, फ्रेजरपुर	12.760	12.727	12.727
13	जगदलपुर	औद्योगिक क्षेत्र, पंडरीपानी	4.876	4.876	4.876
14	राजनांदगांव	औद्योगिक संस्थान, ममता नगर, राजनांदगांव	7.769	7.237	7.237
15	राजनांदगांव	औद्योगिक क्षेत्र, सोमनी	4.046	2.043	2.043

क्र.	जिला	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल भूमि (हे. में)	आबंटन योग्य भूमि (हे. में)	आबंटित भूमि (हे. में)
1	2	3	4	5	6
16	राजनांदगांव	औद्योगिक क्षेत्र, मोहारा	2.428	2.417	2.417
17	राजनांदगांव	औद्योगिक क्षेत्र, गठुला	1.618	0.404	0.404
18	राजनांदगांव	ग्रामीण कर्मशाला, डोंगरगढ़	1.214	0.708	0.708
19	सरगुजा	अर्द्धशहरीय औद्योगिक संस्थान, अंबिकापुर	9.49	7.06	7.06
20	सूरजपुर	औद्योगिक क्षेत्र, अजीरमा	6.07	4.00	4.00
21	जशपुरनगर	अर्द्धशहरीय औद्योगिक क्षेत्र, गम्हरिया	4.047	2.885	1.384
22	कोण्डागांव	औद्योगिक क्षेत्र, आड़काछेपड़ा, कोण्डागांव	2.63	2.15	2.15
23	कोरिया	औद्योगिक क्षेत्र, चैनपुर	2.485	2.286	2.286
24	कोरिया	ग्रामीण कर्मशाला बैकुण्ठपुर	0.111	0.111	0.111
25	नारायणपुर	ग्रामीण कर्मशाला नारायणपुर	2.12	1.71	1.71

(11) फूड पार्क -

11.1 प्रस्तावित नवीन फूडपार्क की स्थापना हेतु शासकीय भूमि की जानकारी

1. पूर्ववर्ती सरकार के जनघोषणा पत्र 2018 के अनुसार प्रदेश में 200 फूडपार्क स्थापित किए जाएंगे तथा प्रत्येक विकासखण्ड में कम से कम एक फूडपार्क स्थापित किया जाएगा।

2. उक्त घोषणा के अनुसरण में प्रदेश के 146 विकासखण्डों में से 115 विकासखण्डों में नवीन फूडपार्क की स्थापना हेतु भूमि का चिन्हांकन किया जा चुका है जिसके अन्तर्गत राजस्व विभाग से 58 विकासखण्डों में चयनित शासकीय भूमि का हस्तांतरण उद्योग विभाग को किया जा चुका है, जिसमें से 54 विकासखण्डों की कुल रकबा 636.816 हेक्टे. शासकीय भूमि का आधिपत्य विभाग को प्राप्त हो गया है तथा शेष 04 विकासखण्डों की 46.754 हेक्टे. विभाग को हस्तांतरित शासकीय भूमि का आधिपत्य प्राप्त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

3. विभाग को आधिपत्य में प्राप्त 54 विकासखण्डों में से 41 विकासखण्डों की कुल रकबा 527.595 हेक्टे. भूमि का आधिपत्य छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, रायपुर को सौंपा जा चुका है जिसमें से 17 विकासखण्डों में फूडपार्क की स्थापना हेतु शासन से प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

4. फूडपार्क की स्थापना हेतु विकासखण्ड व जिला–सुकमा के अंतर्गत ग्राम सुकमा, तहसील–फरसाबहार, जिला–जशपुर के अंतर्गत ग्राम–फरसाबहार, विकासखंड–उदयपुर, जिला–सरगुजा के अंतर्गत ग्राम–रिखी, विकासखंड–छुरिया, जिला–राजनांदगांव के अंतर्गत ग्राम–पांगरीखुर्द में अधोसंरचना विकास कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष फूडपार्क की स्थापना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(12) राज्य में फूडपार्कों की स्थापना की प्रगति -

क्र.	जिले का नाम	ग्राम का नाम	रिमार्क
1	2	3	4
1.	सुकमा	सुकमा	अधोसंरचना विकास कार्य पूर्ण।
2.	जशपुर	फरसाबहार	अधोसंरचना विकास कार्य पूर्ण।
3.	सरगुजा	रिखी	अधोसंरचना विकास कार्य पूर्ण।
4.	राजनांदगांव	पांगरीखुर्द	अधोसंरचना विकास कार्य पूर्ण।
5.	बस्तर	धुरागांव	अधोसंरचना विकास कार्य प्रगति पर।
6.	सुकमा	पाकेला	अधोसंरचना विकास कार्य प्रगति पर।
7.	सुकमा	फन्दीगुड़ा	अधोसंरचना विकास कार्य प्रगति पर।
8.	सरगुजा	उलकिया	अधोसंरचना विकास कार्य प्रगति पर।
9.	कांकेर	रामकृष्णपुर	अधोसंरचना विकास कार्य प्रगति पर।
10	सूरजपुर	केवरा	अधोसंरचना विकास कार्य प्रगति पर।
11	कोरिया	फूलपुर	अधोसंरचना विकास कार्य प्रगति पर।
12	जशपुर	बरबसपुर	अधोसंरचना विकास कार्य प्रगति पर।
13	जशपुर	नारायणबहली	अधोसंरचना विकास कार्य प्रगति पर।
14	मुंगेली	हथकेरा–बिदबिदा	अधोसंरचना विकास कार्य प्रगति पर।
15	गरियाबंद	सुरसाबांधा	अधोसंरचना विकास कार्य प्रगति पर।
16	रायपुर	खपरीखुर्द	अधोसंरचना विकास कार्य प्रगति पर।
17	जशपुर	चिकनीपानी	अधोसंरचना विकास कार्य प्रगति पर।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2011- उद्योग संचालनालय में 01 अप्रैल, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक की स्थिति में कुल प्राप्त 385 नवीन आवेदनों में से 64 प्रकरणों का निराकरण कर लिया गया है तथा लंबित 321 प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में कर लिया जावेगा। इसी प्रकार उद्योग संचालनालय के

अधीनस्थ जिला कार्यालयों में माह अप्रैल, 2023 से दिसम्बर, 2023 तक की स्थिति में कुल प्राप्त 2058 आवेदनों में से 548 प्रकरणों का निराकरण कर लिया गया है तथा लंबित 1510 प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में कर लिया जावेगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की आवश्यक जानकारी

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वर्ष 2023 में प्राप्त आवेदन पत्रों की स्थिति निम्नानुसार है :–

क्र.	विवरण	संख्या
1.	प्राप्त आवेदनों की संख्या	110
2.	निराकृत आवेदनों की संख्या	109
3.	प्रक्रियाधीन आवेदनों की संख्या	1
प्रथम अपील		
1.	प्रथम अपील आवेदनों की संख्या	7
2.	निराकृत आवेदनों की संख्या	7
3.	प्रक्रियाधीन आवेदनों की संख्या	0
द्वितीय अपील		
1.	द्वितीय अपील आवेदनों की संख्या	9
2.	निराकृत आवेदनों की संख्या	8
3.	प्रक्रियाधीन आवेदनों की संख्या	1

खाद्य प्रसंस्करण आधारित इकाई

पंजीयक–फर्म्स एवं संस्थाएं

कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएँ, छत्तीसगढ़, विभागाध्यक्ष कार्यालय है। इसका मुख्यालय नवा रायपुर में है एवं विभागाध्यक्ष रजिस्ट्रार है। रजिस्ट्रार को छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998) एवं भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत पंजीयन व प्रशासन का कार्य सौंपा गया है। इस कार्यालय के अधीन सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएँ के चार संभागीय कार्यालय बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग एवं बस्तर संभाग में कार्यरत हैं।

1. विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी :-

1.1 **भारतीय भागीदारी अधिनियम–1932:**– इस अधिनियम के अधीन भागीदारी फर्मों का पंजीयन किया जाता है तथा समय–समय पर भागीदारों में व फर्मों की रचना में जो परिवर्तन होने हैं, उनको भी रिकार्ड में लिया जाता है तथा फर्मों में भागीदारों द्वारा अथवा अन्य द्वारा चाहे जाने पर प्रलेखों की प्रतियां जारी की जाती है।

1.2 **छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998)** :– इस अधिनियम के अधीन शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामान्य, जनकल्याणकारी व अन्य प्रकार की स्वयंसेवी संस्थाओं, शासकीय एजेंसियों, अर्द्ध शासकीय संस्थाओं का भी समिति के रूप में पंजीयन किया जाता है। पंजीकृत संस्थाओं की जांच, विशेष ऑडिट, निरीक्षण, निर्वाचन, प्रशासक की नियुक्ति आदि जैसे कार्य किये जाते है। संस्था के विधान में जो संशोधन समय–समय पर किया जाता है, उनको भी अनुमोदन कर रिकार्ड पर लिया जाता है। संस्था द्वारा प्रेषित जानकारियों पर भी कार्यवाही की जाती है।

1.3 सोसायटी का पंजीयन ऑनलाईन दिनांक 30.06.2017 से प्रारंभ है एवं संशोधन दिनांक 13.02.2018 से प्रारंभ है।

1.4 फर्म का पंजीयन ऑनलाईन प्रारंभ दिनांक 30.06.2017 से प्रारंभ है एवं परिवर्तन दिनांक 15.05.2018 से प्रारंभ है।

1.5 ऑनलाइन पंजीयन हेतु वेबसाइट rfas.cg.nic.in है, इसके अंतर्गत 24X7 समय में पंजीयन प्रकरण आवेदकों से अपने स्थान से ही पंजीयन प्रकरण जमा करने एवं पंजीयन पश्चात् पंजीयन प्रमाण पत्र भी स्थानीय स्तर पर प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। इस प्रकार आवेदकों को किसी भी कार्य हेतु इस कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

1.6 प्रत्येक पंजीकृत होने वाली एवं आवेदित आवेदनों पर की गई कार्यवाही की जानकारी जून, 2017 से एस.एम.एस. (SMS) अलर्ट द्वारा प्रेषित की जाती है।

2. अन्य प्रशासनिक कार्यवाहियां :-

(2.1) इस कार्यालय में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 प्रभावशील हैं, जिसके तहत् निम्नांकित सेवाएं सम्मिलित हैं :–

1.	समिति रजिस्ट्रेशन	–	30 कार्य दिवस
2.	भागीदारी फर्म रजिस्ट्रेशन	–	15 कार्य दिवस
3.	अधिनियम की धारा 21 के अधीन पूर्वानुमति हेतु आवेदन पर कार्यवाही	–	30 कार्य दिवस

(2.2) इस कार्यालय में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 भी प्रभावशील हैं, जिसके तहत् आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां तथा जानकारी प्रदाय किया जाता है।

3. सोसायटी एवं फर्म की पंजीयन संख्या :- इस विभाग द्वारा उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत 01.04.2023 से 31.12.2023 तक किये गये कार्यो का विवरण निम्नानुसार है :–

3.1 छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (संशोधित–1998) के अधीन पंजीकृत समितियों की संख्या

पंजीकृत समितियाँ (दिनांक 01.04.2023 से 31.12.2023 तक)	–	330
कुल पंजीकृत समितियों की संख्या	–	113057

3.2 भारतीय (भागीदारी) अधिनियम, 1932 के तहत् पंजीकृत फर्म्स

पंजीकृत फर्म (दिनांक 01.04.2023 से 31.12.2023 तक)	–	1118
कुल पंजीकृत फर्मों की संख्या	–	40150

3.3 समिति एवं फर्मों के पंजीयन के कार्य ऑनलाईन प्रारंभ किए गए हैं।

4. राजस्व प्राप्तियाँ :- भारतीय (भागीदारी) अधिनियम, 1932 एवं छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (संशोधित–1998) के तहत् समितियों तथा फर्मों के पंजीयन एवं प्रशासन के अधीन विभाग को राजस्व प्राप्त होता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 (दिनांक 31.12.2023 तक) में निर्धारित लक्ष्य रूपये 5.50 करोड़ के विरूद्ध रूपये 6.84 करोड़ राजस्व प्राप्ति हुई है।

वाष्पयंत्र निरीक्षकालय

उद्देश्य

वाष्पयंत्र (बॉयलर) स्टील की प्लेट, ट्यूबों एवं पाइपों से निर्मित एक यंत्र है जिसमें पानी को गरम कर अत्यंत उच्च दाब एवं तापक्रम की वाष्प (स्टीम) का उत्पादन किया जाता है। वाष्पयंत्र का उपयोग विभिन्न उद्योगों में विद्युत उत्पादन एवं औद्योगिक उत्पादन के विभिन्न चरणों में ऊष्मा प्रदान करने हेतु किया जाता है। राज्य के विभिन्न उद्योगों में वाष्पयंत्र स्थापित हैं। यदि इन वाष्पयंत्रों का सही उपयोग, उच्च दर्जे का रख–रखाव, प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा परिचालन एवं उचित संरचना न हो तो गंभीर दुर्घटना हो सकती है जिससे जन–धन की काफी क्षति हो सकती है।

वाष्पयंत्रों से संबंधित औद्योगिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार द्वारा बॉयलर अधिनियम–1923 बनाया गया है व इसी अधिनियम के तहत बॉयलर विनियम–1950 बनाए गए हैं। इस अधिनियम को राज्य में लागू करने हेतु राज्य शासन द्वारा वाष्पयंत्र निरीक्षकालय की स्थापना की गई है। बॉयलर अधिनियम–1923 व इसके तहत बनाए गए विनियमों एवं नियमों को राज्य में लागू करने का कार्य वाष्पयंत्र निरीक्षकालय करता है ताकि वाष्पयंत्रों से संबंधित औद्योगिक सुरक्षा बनी रहे।

दिनांक 01–04–2023 से 31–12–2023 तक की अवधि में कार्य निष्पादन का विवरणः–

1. वाष्पयंत्रों का निरीक्षण :-

क्र.	विवरण	संख्या
1.	संपूर्ण निरीक्षण (विभागीय–1002, स्वप्रमाणीकरण–64)	1066
2.	जलभार परीक्षण	869
3.	नये वाष्पयंत्रों का पंजीयन	79
4.	वाष्पयंत्रों के प्रमाण–पत्रों का नवीनीकरण	947
5.	वाष्पयंत्रों का अनंतिम प्रमाण–पत्र	49
6.	दुरुस्त हुए वाष्पयंत्र	110

राज्य में कुल 1669 वाष्पयंत्र स्थापित हैं। जिनमें से कुल 1330 वाष्पयंत्र वर्तमान में कार्यरत हैं। दिनांक 01–04–2023 से 31–12–2023 तक की अवधि में कुल 1066 (लगभग 80.01%) वाष्पयंत्रों के संपूर्ण निरीक्षण (विभागीय 1002 एवं स्वप्रमाणीकरण 64) किये गये हैं।

2. वाष्पयंत्र निरीक्षण की प्रक्रिया का सरलीकरण :- भारत सरकार की Ease of doing business तथा राज्य सरकार की औद्योगिक नीति 2014–19 के तहत वाष्पयंत्रों की निरीक्षण की प्रक्रिया का सरलीकरण करने हेतु वाष्पयंत्रों के स्वप्रमाणीकरण की व्यवस्था राज्य सरकार की अधिसूचना

दिनांक 20–03–2015 द्वारा लागू की गई है। उक्त व्यवस्था के अंतर्गत इकाईयां प्रशिक्षित बायलर आपरेशन इंजीनियर से वाष्पयंत्र का निरीक्षण करा सकेगी। वर्तमान में राज्य में स्थापित कुल 26 इकाईयों द्वारा वाष्पयंत्रों के स्वप्रमाणीकरण की व्यवस्था का लाभ लिया जा रहा है। दिनांक 01.04.2023 से 31.12.2023 तक की अवधि में कुल 64 वाष्पयंत्रों के स्वप्रमाणीकरण हुये हैं।

वाष्पयंत्रों के प्रमाणपत्रों के नवीनीकरण एवं नये वाष्पयंत्रों के पंजीयन के ऑन–लाइन आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। विभिन्न आवेदनों के साथ प्राप्त होने वाले प्रपत्रों/घोषणा पत्र/शपथ पत्र आदि में नोटरी/राजपत्रित अधिकारी/ मजिस्ट्रेट से सत्यापन की अनिवार्यता समाप्त की गई एवं उक्त दस्तावेजों का स्वप्रमाणीकरण मान्य किया गया है।

3. बॉयलर अधिनियम- 1923 की धारा 34(2) के तहत छूट :-

वाष्पयंत्र का निरीक्षण एवं परीक्षण करने के उपरांत ठीक पाए जाने की स्थिति में वाष्पयंत्र का उपयोग करने हेतु एक वर्ष की अवधि का प्रमाण पत्र निरीक्षण दिनांक से जारी किया जाता है। उक्त प्रमाण पत्र की अवधि समाप्ति पर वाष्पयंत्र बंद कर इकाइयों द्वारा निरीक्षण एवं परीक्षण कराकर प्रमाण पत्र का पुनः नवीनीकरण कराया जाता है। कभी–कभी आपात स्थिति में जब इकाइयों द्वारा प्रमाण पत्र की अवधि समाप्ति पर वाष्पयंत्र बंद करना संभव नहीं होता है तब प्रमाण पत्र की अवधि के पश्चात् वाष्पयंत्र का उपयोग जारी रखने हेतु इकाइयों द्वारा राज्य शासन से अधिनियम की धारा 34(2) के तहत छूट प्राप्त की जाती है। यह छूट मुख्यतः पावर प्लांट के वाष्पयंत्रों को सीमित अवधि हेतु दी जाती है जिससे राज्य में विद्युत की उपलब्धता प्रभावित न हो सके। उक्त अवधि में यह छूट किसी इकाई को प्रदाय नहीं की गई है।

4. केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड -

मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड, भारत सरकार नई दिल्ली के सदस्य हैं एवं छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड एक तकनीकी संस्था है जिसका प्रमुख कार्य बॉयलर तकनीक में होने वाली निरंतर प्रगति को ध्यान में रखकर भारतीय बॉयलर विनियम–1950 में समय–समय पर संशोधन करना होता है। भारतीय बॉयलर विनियम–1950 की विभिन्न धाराओं में प्रस्तावित संशोधनों के आवेदनों पर वाष्पयंत्र निरीक्षकालय अपना तकनीकी अभिमत समय–समय पर केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड को प्रेषित कर रहा है। भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 13–12–07 द्वारा बॉयलर अधिनियम– 1923 में संशोधन किया गया है तथा अधिसूचना दिनांक 27–05–2008 एवं 07–10–2010 द्वारा उक्त संशोधनों को लागू किया गया है। अधिनियम में हुये संशोधन के फलस्वरूप बॉयलर अटेंडेंट परीक्षा के नियम, बॉयलर आपरेशन इंजीनियर परीक्षा के नियम, पंजीयन शुल्क छोड़कर अन्य समस्त शुल्कों का निर्धारण करने के

नियम तथा अधिकारियों की अर्हता निर्धारण करने के नियम बनाने के राज्य सरकार के अधिकार समाप्त कर भारत सरकार तथा केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड को ये अधिकार दिये गये हैं। अधिनियम में हुए संशोधन के अनुसार राज्य वाष्पयंत्र निरीक्षकालय के समानांतर प्राइवेट कंपीटेंट पर्सन, निरीक्षण प्राधिकारी तथा कंपीटेंट प्राधिकारी की व्यवस्था केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड द्वारा की गई है।

5. सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 -

सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुसार वाष्पयंत्र निरीक्षकालय छत्तीसगढ़, रायपुर हेतु अपर संचालक उद्योग को प्रथम अपीलीय अधिकारी, मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र को लोक सूचना अधिकारी तथा वरिष्ठ निरीक्षक वाष्पयंत्र को सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत वाष्पयंत्र निरीक्षकालय में 01—04—2023 से 31—12—2023 तक की अवधि में कुल 02 आवेदन प्राप्त हुआ जिसका निराकरण समयावधि में किया गया।

6. लोक सेवा गारंटी अधिनियम- 2011-

दिनांक 01—04—2023 से 31—12—2023 तक की अवधि में कुल 1074 आवेदन प्राप्त हुये जिसका निराकरण समय सीमा के भीतर किया गया। इससे संबंधित कोई शिकायत या अपील का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

7. अभियोजन एवं अपील -

दिनांक 01—04—2023 से 31—12—2023 तक की अवधि में अभियोजन अथवा अपील का कोई प्रकरण लंबित नहीं है।

8. बजट एवं वित्तीय स्थितिः-

वाष्पयंत्र निरीक्षकालय को स्थापना व्यय हेतु आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत बजट का आबंटन होता है। वर्ष 2023—24 में रु. 228.30 लाख का बजट अनुमोदित हुआ। वाष्पयंत्रों एवं स्पेयर निर्माण के निरीक्षण शुल्क से राज्य शासन को राजस्व की प्राप्ति होती है। वर्ष 2023—24 हेतु रु. 300.00 लाख के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

01—04—2023 से 31—12—2023 तक की अवधि में आय—व्यय का विवरण निम्नानुसार है :—

(रू. लाख में)

अवधि	राजस्व प्राप्ति	व्यय	शुद्ध बचत
01—04—2023 से 31—12—2023	364.74	141.83	222.91

9. प्रमुख कार्य एवं उपलब्धियाँ :-

1. Ease of doing business नीति तथा राज्य सरकार की औद्योगिक नीति के अनुरूप बायलरों के सेल्फ सर्टीफिकेशन/थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की व्यवस्था राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 8–2/2011/11/(6) दिनांक 20.03.2015 द्वारा एवं समसंख्यक संशोधित अधिसूचना दिनांक 22.03.2019 द्वारा लागू की गई। इस व्यवस्था के तहत 01–04–2023 से 31–12–2023 तक की अवधि में कुल 64 वाष्पयंत्रों का स्वप्रमाणीकरण किया गया।

2. राजस्व प्राप्ति रू. 300.00 लाख का लक्ष्य पूर्ण हुआ। 01–04–2023 से 31–12–2023 तक की अवधि में कुल राजस्व प्राप्ति रू. 364.74 लाख के विरूद्ध कुल राजस्व व्यय रू. 141.83 लाख हुई जिससे शासन को रु. 222.91 लाख की शुद्ध बचत हुई।

3. राज्य में हो रहे तीव्र औद्योगिक विकास के अंतर्गत वाष्पयंत्रों के स्पेयर पार्ट्स निर्माण करने वाली 16 इकाईयां स्थापित हैं। इन इकाईयों द्वारा निर्मित किये गये स्पेयर पार्ट्स की छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न प्रांतों में अच्छी मांग है।

4. बॉयलर अधिनियम–1923 के अंतर्गत राज्य में अभियोजन अथवा अपील का कोई प्रकरण लंबित नहीं है।

5. केन्द्रीय बायलर बोर्ड, भारत सरकार द्वारा मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र को राज्य में निर्मित होने वाले वाष्पयंत्रों एवं उनके कलपुर्जों के निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण हेतु निरीक्षण प्राधिकारी का दर्जा प्रदान किया गया है।

राज्य में स्थापित सीमेंट आधारित संयंत्र

राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड

राज्य में निवेश के इच्छुक उद्यमियों को सहयोग देने और उद्योग स्थापित करने हेतु आवश्यक क्लियरेंस तत्परता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड तथा जिला निवेश प्रोत्साहन समितियों का गठन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, बोर्ड के अध्यक्ष तथा भारसाधक सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग बोर्ड के पदेन संयोजक हैं। जिला समितियों के चेयर पर्सन, संबंधित जिले के कलेक्टर तथा महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पदेन संयोजक हैं।

रूपये 10 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के क्रियान्वयन की स्वीकृति हेतु बोर्ड कार्यालय **''राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी''** के रूप में निवेशकों के लिए ''एकल संपर्क बिन्दु'' के रूप में कार्य करता है, जिससे निवेशकों को अपनी परियोजना से संबंधित सभी कार्यों के लिए विभिन्न कार्यालयों/विभागों से संपर्क करने के स्थान पर एक ही स्थल से संपर्क कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम–2002 में उल्लेखित प्रावधान के अनुरूप छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियम–2004 बनाये गये हैं। इस नियम के द्वारा निवेशकों को सभी विभागों/एजेंसियों से सहमति/अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु समयावधि निर्धारित की गई है ।

(1) **राज्य गठन से दिसम्बर, 2018 तक** निष्पादित एमओयू में 129 एमओयू वर्तमान में प्रभावशील है (ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, 2012 के तहत निष्पादित एमओयू को छोड़कर), जिसमें कुल रूपये 2,10,431.47 करोड़ का पूंजी निवेश प्रस्तावित है । इनमें से 67 परियोजनाओं में उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। इन प्रभावशील एमओयू परियोजनाओं में अभी तक रूपये 78,784.02 करोड़ का पूंजी निवेश हो चुका है ।

(2) **1 जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2022 तक** निष्पादित एमओयू में 207 एमओयू वर्तमान में प्रभावशील हैं, जिसमें रूपये 1,22,629.65 करोड़ का पूंजी निवेश तथा 1,26,071 व्यक्तियों को रोजगार दिया जाना प्रस्तावित है। इसमें कोर सेक्टर के साथ ही साथ एथेनॉल, फूड सेक्टर, फार्मास्युटिकल, इलेक्ट्रानिक्स, डिफेंस, सोलर आदि परियोजनाएं सम्मिलित है। इनमें से 23 परियोजनाओं में उत्पादन प्रारंभ हो चुका है तथा 35 परियोजनाएं निर्माणाधीन है। इन एमओयू परियोजनाओं में अभी तक रूपये 7,092.67 करोड़ का पूंजी निवेश हो चुका है ।

वर्तमान में राज्य की महत्वाकांक्षी औद्योगिक परियोजना बायो एथेनॉल संयंत्र की स्थापना हेतु 34 एमओयू निष्पादित किए गए हैं, जिसमें लगभग रूपये 6511.65 करोड़ का पूंजी निवेश प्रस्तावित है।

उद्योग विभाग के अंतर्गत स्थापित निगम

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत एक ही निगम ''छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड'' गठित है। इस निगम की अधिकृत पूंजी रूपये 10 करोड़ एवं प्रदत्त पूंजी रूपये 1.60 करोड़ है।

भारत शासन द्वारा वर्ष 2000 में किये गये राज्य पुर्नगठन के फलस्वरूप पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अंर्तगत स्थापित निगमों यथा–(1) मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, रायपुर (2) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम (3) मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम (4) मध्यप्रदेश वित्त निगम (5) म.प्र.निर्यात निगम (6) म.प्र. औद्योगिक विकास निगम (7) मध्यप्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन (8) मध्यप्रदेश टेक्सटाईल कार्पोरेशन को इसमें समाहित किया गया है ।

राज्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार निगम के द्वारा विभिन्न गतिविधियां निष्पादित की जाती हैं – यथा औद्योगिक संवर्धन, प्रचार–प्रसार, अधोसंरचना सुविधाओं का विकास, औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना, लघु उद्योगों के विपणन में सहायक की भूमिका, कच्चामाल आपूर्ति, शासकीय उद्योगों का संचालन, राज्य की राजधानी में राज्योत्सव का आयोजन एवं नई दिल्ली के भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्य के मंडप का निर्माण एवं संचालन एवं शासन द्वारा समय समय पर निर्देशित अनुसार अन्य कार्य।

निगम द्वारा किये जाने वाले कार्यों, उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :–

(1) स्थापित औद्योगिक विकास केन्द्र/औद्योगिक क्षेत्र/पार्कों का विवरण

(1.1) निगम के नियंत्रणाधीन स्थापित औद्योगिक विकास केन्द्र/औद्योगिक क्षेत्र/पार्कों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल प्राप्त भूमि (हेक्टेयर में)	आबंटन योग्य भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
औद्योगिक क्षेत्र (200 हेक्टेयर से अधिक)			
1	औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर	395.563	251.483
2	औद्योगिक विकास केन्द्र सिलतरा, रायपुर	1184.40	872.812
3	औद्योगिक विकास केन्द्र सिरगिट्टी, बिलासपुर	338.42	217.49
4	औद्योगिक विकास केन्द्र बोरई, दुर्ग	450.810	192.462
5	औद्योगिक क्षेत्र सिलपहरी, बिलासपुर	244.86	157.56
योग:–		**2614.053**	**1691.807**

क्रमांक	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	कुल प्राप्त भूमि (हेक्टेयर में)	आबंटन योग्य भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
औद्योगिक क्षेत्र (100 से 200 हेक्टेयर तक)			
6	औद्योगिक क्षेत्र भनपुरी, रायपुर	164.300	103.48
7	इंजीनियरिंग पार्क, हथखोज भिलाई	141.613	59.15
8	औद्योगिक क्षेत्र मेटलपार्क, रायपुर	101.790	35.82
	योगः—	**407.703**	**198.448**
औद्योगिक क्षेत्र (50 से 100 हेक्टेयर तक)			
9	महरूम कला, राजनांदगांव	66.858	—
10	औद्योगिक क्षेत्र तिफरा, बिलासपुर	55.84	39.48
11	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (आईआईडीसी) बिरकोनी, महासमुंद	96.42	41.82
12	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (आईआईडीसी) नयनपुर–गिरवरगंज,	51.237	24.061
13	फूडपार्क बगौद, धमतरी	68.74	23.45
14	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (आईआईडीसी) लखनपुरी, कांकेर	53.30	25.86
	योगः—	**392.39**	**154.671**
औद्योगिक क्षेत्र (50 हेक्टेयर तक)			
15	औद्योगिक क्षेत्र रावांभाठा, रायपुर	37.18	30.95
16	औद्योगिक क्षेत्र आमासिवनी, रायपुर	11.83	10.04
17	अंजनी, पेण्ड्रारोड	19.42	10.89
18	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (आईआईडीसी) हरिनछपरा, कबीरधाम	20.93	11.09
19	औद्योगिक क्षेत्र तेन्दुआ, रायपुर	20.991	7.27
20	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (आईआईडीसी) टेकनार, दन्तेवाड़ा	19.27	9.016
21	एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (आईआईडीसी) कॉपन, जांजगीर चांपा	43.06	15.325
22	औद्योगिक क्षेत्र बरतोरी तिल्दा, रायपुर	32.32	15.29
23	औद्योगिक क्षेत्र गंगापुर खुर्द, सरगुजा	12.25	4.73
24	इलेक्ट्रानिक मेन्युफेक्चरिंग क्लस्टर, नवा रायपुर	45.75	22.83
25	औद्योगिक क्षेत्र महरूम खुर्द, राजनांदगांव	37.12	13.87
26	औद्योगिक क्षेत्र अवरेठी, भाटापारा	8.615	5.479
27	औद्योगिक क्षेत्र सिलपहरी (ब्लॉक–ए, बी एवं सी), बिलासपुर	24.96	17.91
	योगः—	**333.696**	**174.69**

(1.2) एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र (IIDC):-

भारत सरकार की इस योजना के अंतर्गत राज्य में सूक्ष्म, लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्रों की स्थापना की जाती है। नवीन योजना के अंतर्गत परियोजना लागत का 60 प्रतिशत अधिकतम रु. 6 करोड़ का अनुदान भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, शेष राशि का अंशदान राज्य शासन द्वारा दिया जाता है। राज्य में इनकी स्थापना हेतु नोडल एजेंसी सी.एस.आई.डी.सी. है।

भारत सरकार के सहयोग से निम्न नये एकीकृत अधोसंरचना विकास केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्रं.	औद्योगिक केन्द्र का नाम	जिला	क्षेत्रफल (एकड़ में)	परियोजना लागत (रु.करोड़ में)	केन्द्रीय अनुदान (रु.करोड़ में)	राज्य शासन का अंश (रु.करोड़ में)
1.	खम्हरिया	मुंगेली	60	20.93	6.00	14.93
2.	परसगढ़ी	कोरिया	32	12.20	6.00	6.20
3.	सियारपाली / महुआपाली	रायगढ़	39	16.24	6.00	10.24

प्रस्तावित नवीन औद्योगिक क्षेत्र :-

क्रं.	प्रस्तावित औद्योगिक केन्द्र का नाम	जिला	क्षेत्रफल (एकड़ में)	परियोजना लागत (रु.करोड़ में)
1	ग्राम परसिया	मुंगेली	192.02	37.24
2	ग्राम सेलर	बिलासपुर	95.02	28.48
3	ग्राम केसदा	बलौदा बाजार– भाटापारा	70.92	13.59

प्रस्तावित आई.आई.डी.सी. :-

क्रं.	प्रस्तावित औद्योगिक केन्द्र का नाम	जिला	क्षेत्रफल (एकड़ में)	परियोजना लागत (रु.करोड़ में)
1.	अभनपुर	रायपुर	39.88	11.61
2.	जी–जामगांव	धमतरी	24.71	7.67

(1.3) स्थापित विशिष्ट औद्योगिक पार्क

(1.3.1) मेटल पार्क- जिला रायपुर

विशिष्ट उद्योगों पर आधारित औद्योगिक पार्को की स्थापना के अंतर्गत रायपुर में रावांभाठा में फेरस तथा नान फेरस डाऊनस्ट्रीम अप्रदूषणकारी सूक्ष्म तथा लघु

उद्योगों को भूमि उपलब्ध कराने की दृष्टि से रायपुर शहर से 12 कि.मी. की दूरी पर ग्राम रावांभाठा में मेटल पार्क विकसित किया गया है ।

(1.3.2) इंजीनियरिंग पार्क- जिला दुर्ग

विशिष्ट उत्पाद आधारित औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के अंतर्गत इंजीनियरिंग उत्पाद संबंधी समूह उद्योगों के विकास हेतु भारी औद्योगिक क्षेत्र हथखोज, भिलाई से लगे हुए ग्राम हथखोज में कुल 122.618 हेक्टेयर भूमि पर निगम द्वारा इंजीनियरिंग उत्पादों के क्लस्टर विकास हेतु इंजीनियरिंग पार्क विकसित किया गया है।

(1.3.3) इलेक्ट्रानिक मेन्यूफेक्चरिंग क्लस्टर - जिला रायपुर

नया रायपुर में 48.56 हे. भूमि पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत इलेक्ट्रानिक मेन्यूफेक्चिरिंग क्लस्टर की स्थापना प्रारंभ किया जाकर उद्योग स्थापना हेतु अब तक 10 इकाईयों को भूमि आबंटन किया गया है तथा 09 इकाईयों को भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आबंटित इकाईयों में से 06 इकाईयों द्वारा उत्पादन प्रारंभ किया जा चुका है ।

(1.3.4) फूड पार्क- जिला धमतरी

ग्राम बगौद जिला–धमतरी में कुल 68.68 हेक्टेयर भूमि पर फूड पार्क की स्थापना की गई है। अनुमानित परियोजना लागत रू. 45.00 करोड़ है। अधोसंरचना निर्माण कार्य प्रगति पर है। 40 इकाईयों को भूमि का आबंटन किया चुका है। आबंटित इकाईयों में से 06 इकाईयों के द्वारा उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है तथा 08 इकाईयां निर्माणाधीन हैं।

(2) स्थापनाधीन/प्रस्तावित विशिष्ट औद्योगिक पार्क

(2.1) नवीन फूड पार्क-

राज्य शासन द्वारा नवीन फूडपार्क की स्थापना योजना के अंतर्गत विभिन्न विकासखण्ड़ों/जिला में 200 फूडपार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इस योजनांतर्गत 05 फूड पार्को में अधोसंरचना विकास कार्य पूर्ण हो गया है तथा 09 फूड पार्को में अधोसंरचना विकास कार्य प्रगति पर है।

(2.2) ग्राम-पांगरीखुर्द, विकासखण्ड-छुरिया, जिला-राजनांदगाँव में फूडपार्क की स्थापना-

ग्राम–पांगरीखुर्द, विकासखण्ड–छुरिया, जिला–राजनांदगाँव में 48.43 एकड़ क्षेत्र को विकसित कर फूडपार्क की स्थापना की गई है। 1250 वर्ग मीटर से 2850 वर्ग मीटर

तक के 52 भू–खण्ड औद्योगिक प्रयोजन हेतु आबंटित किए जाएगें। योजना का निर्माण निर्धारित समयावधि से पूर्व किया गया हैं। विकसित अधोसंरचना के भू–खण्डों में व्यवसायिक गतिविधियाँ होने पर लगभग 500–700 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। उपरोक्त परियोजना में अधोसंरचना निर्माण कार्य के अंतर्गत डामरीकृत सड़क लम्बाई 1.69 कि.मी. पक्की सतही नाली 2.93 कि.मी., सड़कबत्ती 60 पोल, आर.सी.सी. ह्यूमपाईप कल्वर्ट 05 नग, 3.00 लाख लीटर क्षमता के उच्चस्तरीय जलागार 01 नग, 1.00 लाख लीटर क्षमता के आर.सी.सी. सम्पवेल 01 नग, विभिन्न व्यास के डी.आई./जी.आई. पाईप लाईन 3.90 कि.मी., पम्प हाऊस 02 नग एवं प्रशासकीय भवन 01 नग का निर्माण किया गया हैं। जिससे 52 नग औद्योगिक भू–खण्डों को सुगम आवागमन, जल, विद्युत आदि सुविधा उपलब्ध होगी।

(2.3) जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क :-

रायपुर में 10 एकड़ भूमि पर पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप आधार पर जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क प्रस्तावित है, जिसकी प्रारंभिक परियोजना लागत रु. 350 करोड़ है। परियोजना की क्रियान्वयन हेतु परियोजना सलाहकार की नियुक्ति की जा चुकी है तथा Architectural Consultant की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2.4) प्लास्टिक पार्क :-

भारत सरकार प्लास्टिक पार्क योजना अंतर्गत ग्राम सरोरा, जिला–रायपुर में 46 एकड़ भूमि पर प्लास्टिक पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। इस पार्क की प्रारंभिक परियोजना लागत रू. 44.00 करोड़ है तथा इस हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है व प्लास्टिक पार्क का अभिन्यास ग्राम तथा नगर निवेश विभाग द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है।

(3) परीक्षण प्रयोगशाला-भिलाई

सीएसआईडीसी के अधीन परीक्षण प्रयोगशाला, भिलाई के द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 3500 लघु उद्योग इकाईयों को उनके उत्पाद परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है । इस प्रयोगशाला हेतु एन. ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त की गई है एवं अब इसके परीक्षण राष्ट्रीय स्तर पर मान्य हैं।

(4) लघु उद्योगों को विपणन सुविधा :-

राज्य के लघु उद्योगो के विकास एवं प्रोत्साहन हेतु राज्य में लागू **''छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम–2002 (यथा संशोधित)''** में संशोधन किये गये है। जिसके फलस्वरूप समस्त

शासकीय विभागों के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रम, मंडल, जिला पंचायत एवं नगरीय निकाय भी भण्डार क्रय नियमों की परिधि में रहेंगे । भण्डार क्रय नियम के परिशिष्ट–1 सूची मे कुल 77 केटेगीरी (223) की वस्तुएं सूचीबद्व है।

भण्डार क्रय नियम 4.9 प्रावधान के अधीन राज्य के जीएसटी विभाग में निविदाकर्ता फर्म का पंजीयन होना चाहिए तथा उस पंजीयन प्रमाण पत्र में, जिस सामग्री के लिए निविदा की गई है उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, ताकि कर अपवचन का मामला नही बनें। इसी प्रकार निविदाकर्ता की ओर से निविदा में भाग लेने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि का राज्य के जीएसटी विभाग में पंजीयन होना अनिवार्य है।

भण्डार क्रय नियम 7.1 प्रावधान के अधीन सीएसआईडीसी के द्वारा विभिन्न निर्माणकर्ता एवं उनके अधिकृत प्रदायकर्ता इकाईयों से ऑनलाईन पंजीयन प्रकिया वेब–साईट http://www.ceps.cg.gov.in से प्राप्त पंजीयन आवेदन के आधार पर सीएसआईडीसी पंजीयन में इकाई को सूचीबद्ध कर निविदा में आवश्यक दस्तावेज यथा CSIDC Vendor Registration Certificate इकाई के पक्ष में जारी किया जाता है। अद्यतन इकाईयों कों CSIDC पंजीयन में सूचीबद्ध किया गया है।

भण्डार क्रय नियम–3 के तहत् परिशिष्ट–1 की सूची में उल्लेखित वस्तुओं के दर निर्धारण एवं दर अनुबंध हेतु शासन द्वारा निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता करने के उददेश्य से क्रियान्वित ई–प्रोक्यूरमेंट सिस्टम के अंतर्गत निर्माता इकाई एवं निर्माता इकाई के अधिकृत प्रदायकर्ता इकाई के लिए ई–निविदा प्रकाशित की जाती है। छत्तीसगढ़ शासन के ई–प्रोक्यूरमेंट सिस्टम के अंतर्गत आमंत्रित ई–निविदा में प्रचलित दर निर्धारण प्रक्रियॅा अनुसार छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम में निहित प्रावधान के तहत् उल्लेखित सामग्रियों की दरें निर्धारित कर पात्र निविदाकर्ता इकाईयों के पक्ष में दर अनुबंधित निष्पादित किया जाता है।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा 30 सितंबर 2019 को जारी अधिसूचना के अनुपालन में छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम (यथा संशोधित) के अधीन सीएसआईडीसी द्वारा भण्डार क्रय नियम–3 के तहत् परिशिष्ट–1 सूची में आरक्षित वस्तुओं में से कुल 113 वस्तुओं के लिये दर अनुबंध किया गया है।

ई-मानक पोर्टल से शासकीय खरीदी :-

भण्डार क्रय नियम के परिशिष्ट–1 सूची में उल्लेखित वस्तुओं की निर्धारित दर एवं दर अनुबंध में अनुबंधित प्रदायकर्ता इकाईयों का प्रकाशन राज्य में शासकीय खरीदी के लिए 1 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ किए गए ई–मानक (e-Mane-C e-Marketing Network of Chhattisgarh)से किया जा रहा है। ई–मानक पोर्टल की वेब–साईट http://ceps.cg.gov.inहै।

ई-मानक पोर्टल की अद्यतन जानकारी :-

(01.10.2019 से 08.01.2024 की स्थिति में)

		कुल संख्या
पंजीयन	विभाग प्रमुख	703
	क्रयकर्ता अधिकारी	5698
	सामग्री प्राप्तकर्ता अधिकारी	5852
	भुगतानकर्ता अधिकारी	5271
	प्रदायकर्ता इकाईयॉ	1250
शासकीय खरीदी कुल (रू.)		2988.18 करोड़

छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम-2002 (यथा संशोधित 2017) के अनुसार जेम (GeM: Government eMarketplace) के माध्यम से शासकीय खरीदी :-

छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से जारी अधिसूचना दिनांक 30.09.2019 के अनुसार भण्डार क्रय नियम 3 के तहत् परिशिष्ट–1 सूची में उल्लेखित वस्तुओं के अतिरिक्त, अनारक्षित वस्तुए भण्डार क्रय नियम 4 के अनुपालन में भण्डार क्रय नियम 4.3.3 में परन्तु वे वस्तुये जिनकी दर एवं विशिष्टियाँ भारत सरकार के डीजीएसएण्डडी की जेम वेबसाईट में उपलब्ध हों, का क्रय उक्त खुली

निविदा पद्धति या जेम पर उपलब्ध ई–बिडिंग (E-bidding) अथवा रिवर्स ऑक्शन (Reverse Auction) से आवश्यकतानुसार क्रय कर सकेगा का प्रावधान किया गया है।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी उपरोक्त अधिसूचना के अनुक्रम में भारत सरकार की संस्था जेम **(GeM: Government eMarket place)** एवं राज्य शासन के मध्य निष्पादित एम.ओ.यू. के अंतर्गत राज्य शासन के विभागों द्वारा सामग्री का क्रय जेम (GeM) के माध्यम से किया जा रहा है। जेम पोर्टल **(GeM: Government eMarketplace)** के संस्करण 2.0 एवं 3.0 से शासकीय खरीदी की अद्यतन प्रगति निम्नानुसार है :–

जेम पोर्टल में पंजीयन		
1	प्रायमरी यूजर (शासकीय विभाग/उपक्रम की संख्या	**5098**
2	सेकेण्डरी यूजर (शासकीय विभाग/उपक्रम की संख्या)	**3085**
3	विक्रेताओं (एम.एस.एम.ई. एवं सामान्य इकाईयों की संख्या	**2261**
जेम पोर्टल में प्रशिक्षण		
1	क्रयकर्ता विभाग के अधिकारी/कर्मचारी की संख्या	**5961**
2	विक्रेता/प्रतिनिधि (एमएसएमई) एवं सामान्य इकाईयॉ) की संख्या	**719**

विभागों द्वारा क्रय की जानकारी		
1	क्रय किये गये विभागों की संख्या	**495**
2	विभागों/उपक्रमों द्वारा कुल क्रय की गई राशि	**2633 करोड**
	राज्य की श्रेणी	**14 वीं रैंक**

जेम पोर्टल (**GeM: Government eMarketplace**) में शासकीय सामग्री की प्रक्रिया के लिए सीएसआईडीसी में संचालित जेम सेल के अधिकारियों द्वारा आवश्यकता के अनुसार राज्य शासन के विभागों में जेम कार्यशाला का आयोजन कर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसी प्रकार जेम क्रय प्रक्रिया में क्रेता विभागों से प्राप्त पृच्छाओं/कठिनाईयों का समय–समय पर निराकरण किया जाता है।

(5) कौशल उन्नयन गतिविधियां

(5.1) अपेरल ट्रेनिंग एण्ड डिज़ाईन सेंटर

रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव में अपेरल ट्रेनिंग एण्ड डिज़ाईन सेंटर स्थापित किये गये हैं। इससे राज्य के युवाओं को अपेरल क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं रोजगार प्राप्त हो रहा है।

(5.2) बस्तर संभाग में युवाओं हेतु कौशल विकास/प्रशिक्षण

– बस्तर संभाग के जिला सुकमा में अपेरल ट्रेनिंग एण्ड डिज़ाईन सेंटर स्थापित है।

– इस प्रशिक्षण केन्द्र में 240 युवाओं को प्रशिक्षण की सुविधा।

– प्रशिक्षण केन्द्र में वस्त्र उद्योग से संबंधित विभिन्न ट्रेड जैसे अपेरल मैन्युफेक्चरिंग टेक्नालाजी, प्रोडक्शन सुपरविज़न, अपेरल पैटर्न मेकिंग, क्वालिटी कंट्रोल, कटिंग, टेलरिंग, सिलाई मशीन आपरेटर आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है ।

(5.3) एम.एस.एम.ई. टेक्नोलॉजी सेंटर, बोरई-दुर्ग

भारत सरकार, एम.एस.एम.ई. मंत्रालय द्वारा ''टेक्नोलॉजी सेंटर सिस्टम प्रोग्राम'' के अंतर्गत लगभग रु. 112 करोड़ की लागत से बोरई, जिला–दुर्ग में टूल रुम की स्थापना की गई। इस संस्थान में एम.एस.एम.ई. उद्योगों को परीक्षण सुविधा एवं युवाओं को कौशल प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जा रही है।

(5.4) सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी (सीपेट)

प्लास्टिक उद्योग में युवाओं को प्रशिक्षण देने हेतु सीपेट (''सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी) स्थापित किया गया है। यहां दीर्घकालीन एवं डिप्लोमा तथा पीजी डिप्लोमा कोर्स संचालित है।

(6) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना :-

आत्म निर्भर भारत अभियान के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में योजना का प्रारंभ किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए बजट राशि रू. 47.34 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें 60 प्रतिशत राशि केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत राशि राज्यांश का है। इस वित्तीय वर्ष में रू. 7.69 करोड़ केन्द्रांश तथा रू. 4.19 करोड़ राज्यांश कुल राशि रू. 11.88 करोड़ प्राप्त हो चुका है।

योजना के अंतर्गत 494 लाभार्थियों के आवेदन स्वीकृत कर 254 लाभार्थियों को राशि रू. 8.93 करोड़ का अनुदान वितरित किया गया है। योजना में SULM के SHGS के 8,146 सदस्यों को राशि रू. 8.32 करोड़ एवं SULM के SHGS के 498 सदस्यों को राशि रू. 1.27 करोड़ सीड कैपिटल हेतु वितरित किया गया है।

(7) निगम की वर्ष 2023-24 में व्यावसायिक गतिविधियां

(7.1) लघु उद्योगों को परीक्षण जांच की सुविधा :-

टैस्टिंग लैब भिलाई में केमिकल, मेटलर्जीकल सेम्पल परीक्षित– 5060

सिविल व इलेक्ट्रिक सेम्पलों का परीक्षण आय– रू. 21,87,720.00

(7.2) फर्नीचर व शीट मेटल उद्योगों का संचालन:-

अ–फर्नीचर वर्क्स, अभनपुर	उत्पादन	रू. 18,53,566.66
	विक्रय	रू. 20,38,923.00
ब–कृषि उपकरण कारखाना, भिलाई	उत्पादन	रू. 2,38,16,708
	विक्रय	रु. 2,94,84,452.00

(7.3) ऑनलाईन भुगतान सुविधा:-

सीएसआईडीसी द्वारा भू–आबंटी इकाईयों से भू–आबंटन से संबंधित राशियों (प्रीमियम, लीज़रेंट, मेंटनेंस आदि) की वसूली हेतु ऑनलाईन सुविधा सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा रही है।

(7.4) भू-आबंटन पत्रों को ऑनलाईन प्राप्त करना

दिनांक 7 मार्च 2015 से लागू नवीन छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 के परिपालन में उद्यमी को मांगपत्र, आशयपत्र, आबंटन आदेश, भू–प्रब्याजि में छूट, आशय पत्र में समयावधि विस्तार, संशोधन मांगपत्र आदि की समस्त प्रक्रिया आनलाईन की जा रही है ।

(7.5) जल-आपूर्ति संयोजन हेतु ऑनलाईन आवदेन पत्र सुविधा

इकाईयों को जल–आपूर्ति के लिये ऑनलाईन आबंटन सुविधा प्रारंभ की गई है ।

(7.6) औद्योगिक क्षेत्रों का जी.आई.एस. मैप

राज्य में औद्योगिक प्रयोजन हेतु औद्योगिक क्षेत्रों का जी.आई.एस. मैप तैयार कराया जाकर आनलाईन किया गया है। साथ ही लैण्ड बैंक की उपलब्ध भूमि का भी जी.आई. एस. मैप अद्यतन कराया जा रहा है ।

(8) अन्य अधोसंरचना

- **सिलतरा शापिंग काम्पलेक्स, रायपुर**

राज्य के रायपुर जिले के सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र में नवीन शापिंग काम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। इस भवन में भूतल तथा प्रथम तल पर कुल 121 कक्ष (व्यवसायिक दुकान–108 / कार्यालय–12 / रेस्टॉरेंट–1) निर्मित है जिसमें 78 आबंटित है एवं 43 रिक्त हैं। रिक्त दुकानों के आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

- **व्यवसायिक परिसर तिफरा, बिलासपुर**

  राज्य के बिलासपुर जिले में तिफरा व्यवसायिक परिसर का निर्माण किया गया है। इस भवन के भूतल एवं प्रथम तल में कुल 16 कक्ष (दुकान–11/कार्यालय–4/बैंक एटीएम–1) निर्मित किये गये तथा आबंटन किया गया है।

- **व्यवसायिक परिसर बिरकोनी महासमुंद**

  राज्य के महासमुंद जिले में एकीकृत औद्योगिक विकास केन्द्र के अंतर्गत 10 दुकानों का निर्माण किया गया है जिसमें 3 आंबटित है और 7 दुकान रिक्त है। रिक्त दुकानों के आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

- **वाणिज्यिक परिसर डंगनिया, रायपुर**

  राज्य के रायपुर शहर में निगम के आधिपत्य की भूमि पर पांच तल का वाणिज्यिक भवन का निर्माण किया गया है। जिसमें सी.एस.आर. के अंतर्गत एटीडीसी को निःशुल्क स्थान उपलब्ध कराया गया है। साथ ही रेल कारीडोर परियोजना हेतु गठित छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल लिमि. एवं छत्तीसगढ़ रेल कार्पोरेशन लिमि. को स्थान किराये पर उपलब्ध कराया गया है। भूतल में 2 दुकान एवं 1 ऑफिस कार्यालय रिक्त है। रिक्त दुकानों/कार्यालय के आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

- **उद्योग भवन, रायपुर**

  राज्य के रायपुर जिले में जी + 3 तल का वाणिज्यिक भवन का निर्माण किया गया है, जिसके भूतल पर उद्योग संचालनालय एवं प्रथम तल पर सीएसआईडीसी मुख्यालय स्थापित है। परिसर के द्वितीय तल पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल तृतीय तल पर एमएसटीसी लि., ई.सी.जी.सी. लि., फिक्की, पीएचडी चैम्बर ऑफ कामर्स के कार्यालय हेतु मासिक किराये पर आबंटित है। इसके अतिरिक्त जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, वाष्प निरीक्षण (बॉयलर) एवं सीएसआईडीसी तकनीकी कक्ष रायपुर को कार्यालय हेतु भी आबंटित किया गया है।

- **सीएसआईडीसी कार्पोरेट टॉवर, रायपुर**

  राज्य के रायपुर जिले में जी + 5 तल का कार्पोरेट भवन का निर्माण किया गया है, जिसके भूतल पर दुकान क्र. 5 से 8 कुल 4 दुकाने छत्तीसगढ़ मार्केटिंग कार्पोरेशन को मासिक किराये पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य दुकाने एवं तलों को किराया/लीज पर देने आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

- **प्रशासनिक भवन, डीडीयू नगर, रायपुर**

  राज्य के रायपुर जिले में दीनदयाल उपाध्याय नगर में जी + 5 तल का प्रशासनिक भवन को किराया/लीज पर देने आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

- **व्यवसायिक परिसर औद्योगिक क्षेत्र हरिनछपरा, कबीरधाम**

  राज्य के कबीरधाम जिले में हरिनछपरा औद्योगिक क्षेत्र में व्यवसायिक परिसर का निर्माण किया गया जिसमें भूतल पर 6 दुकाने एवं प्रथम तल पर 1 प्रशासकीय भवन कुल 7 भवनों के आबंटन/किराये पर देने आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

- **व्यवसायिक परिसर औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी, बिलासपुर**

  राज्य के बिलासपुर जिले के औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी में दो गोडाउन निर्माण किया गया है जिसे किराये पर दिया गया है।

- **औद्योगिक क्षेत्र तिफरा, बिलासपुर**

  राज्य के औद्योगिक क्षेत्र तिफरा, बिलासपुर में वेयर हाऊस हेतु आरक्षित 8000 वर्गफीट भूमि के आबंटन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

- **औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर**

  राज्य के औद्योगिक क्षेत्र उरला व्यावसायिक परिसर रायपुर में दो दुकान, सीएफसी बिल्डिंग, फिल्ड हॉस्टल के आबंटन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

- **इंजीनियरिंग पार्क/औद्योगिक क्षेत्र हथखोज, भिलाई**

  राज्य के औद्योगिक क्षेत्र हथखोज, भिलाई में वेब्रिज हेतु दो भूमि एवं रेस्टॉरेंट/फूड जोन हेतु भूमियों के आबंटन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

- **इंजीनियरिंग पार्क/औद्योगिक क्षेत्र हथखोज, भिलाई**

  राज्य के औद्योगिक क्षेत्र कापन, जांजगीर–चांपा में बैंक परिसर हेतु हॉल के आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

- **डीटीआईसी बिल्डिंग, दुर्ग**

  राज्य के दुर्ग जिले में जी + 2 तल का प्रशासनिक भवन को किराया/लीज पर देने आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

- **औद्योगिक क्षेत्र बरतोरी, तिल्दा**

  राज्य के औद्योगिक क्षेत्र बरतोरी, तिल्दा में उपलब्ध 06 दुकान के आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(9) डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर, नवा रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के उपरांत से दो दशक की अवधि में व्यापार एवं उद्योग की दिशा में तीव्र गति से हुए विकास एवं राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश तथा आयात–निर्यात की अपार संभावनाओं को देखते हुए राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले, प्रदर्शनी, कान्फ्रेन्स, सेमिनार इत्यादि के लियेएक सर्व सुविधायुक्त ट्रेड सेंटर जिसमें आयात–निर्यात से संबंधित गतिविधियों के लिये एक्सपोर्ट फेसिलिटेशन सेंटर का प्रावधान भी हो, के निर्माण की आवश्यकता को दृष्टिगत् रखते हुए राज्य शासन द्वारा नई राजधानी क्षेत्र के ग्राम तूता में छत्तीसगढ़ ट्रेड सेंटर की स्थापना की जा रही है। उक्त परियोजना का निर्माण कार्य नोडल एजेन्सी छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा नया रायपुर में नया रायपुर डेव्हलपमेंट एजेंसी से पट्टे पर प्राप्त कुल 100 एकड़ भूमि पर किया जा रहा है। कुल पुनरीक्षित परियोजना लागतरू. 192.14 करोड़ है।

वर्तमान में उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत कुछ आंतरिक सड़कों के साथ–साथ प्रदर्शनी परिसर, कल्चरल प्रोग्राम ग्राऊण्ड, पाथवेज एवं बाऊण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 700 सीटर आडिटोरियम सहित Export Facilitation cum Convention Centre तथा Cultural Programme Stage का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

(10) अन्य मुख्य कार्यकलाप

(10.1) विभाग के उपक्रम सी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक विकास हेतु देश–विदेश के औद्योगिक समूहों/उद्योगपतियों की राज्य में औद्योगिक निवेश हेतु रूचि जागृत करने के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने की दृष्टि से तैयार की गई वेबसाइट को और अधिक व्यवस्थित किया गया है । इसमें राज्य के वर्तमान औद्योगिक परिदृश्य प्राकृतिक संसाधनों, सामाजिक अधोसंरचना, नीतियां तथा स्थापित विकास केन्द्रों की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इस वेबसाइट का पता www.csidc.in है।

(10.2) इस वर्ष आईआईटीएफ का आयोजन दिनांक 14 से 27 नवंबर को प्रगति मैदान में इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाईसेशन (आईटीपीओ) द्वारा किया गया। इस वर्ष आईआईटीएफ की थीम ''Vasudhaiva Kutumbakam'' थी। उपरोक्त कार्यक्रम में राज्य द्वारा भाग लिया जाकर आईटीपीओ द्वारा आबंटित 300 वर्गमीटर में पवेलियन का निर्माण किया गया। इस हेतु स्वच्छ मण्डप (राज्य) के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ मण्डप को ''कांस्य पदक''प्राप्त हुआ।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (रेल परियोजनाएं प्रकोष्ठ)

राज्य में रेलवे लाइनों का विकास

राज्य के गठन के पूर्व राज्य में लगभग 1186 कि.मी. का रेलवे नेटवर्क था। राज्य में रेल अधोसंरचनाओं, का विकास करने के लिये राज्य सरकार ने रेल मंत्रालय तथा भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के साथ मिलकर संयुक्त उपक्रम कम्पनियां बनाई, जिसके माध्यम से नई रेल लाईनों का विकास किया जा रहा है।

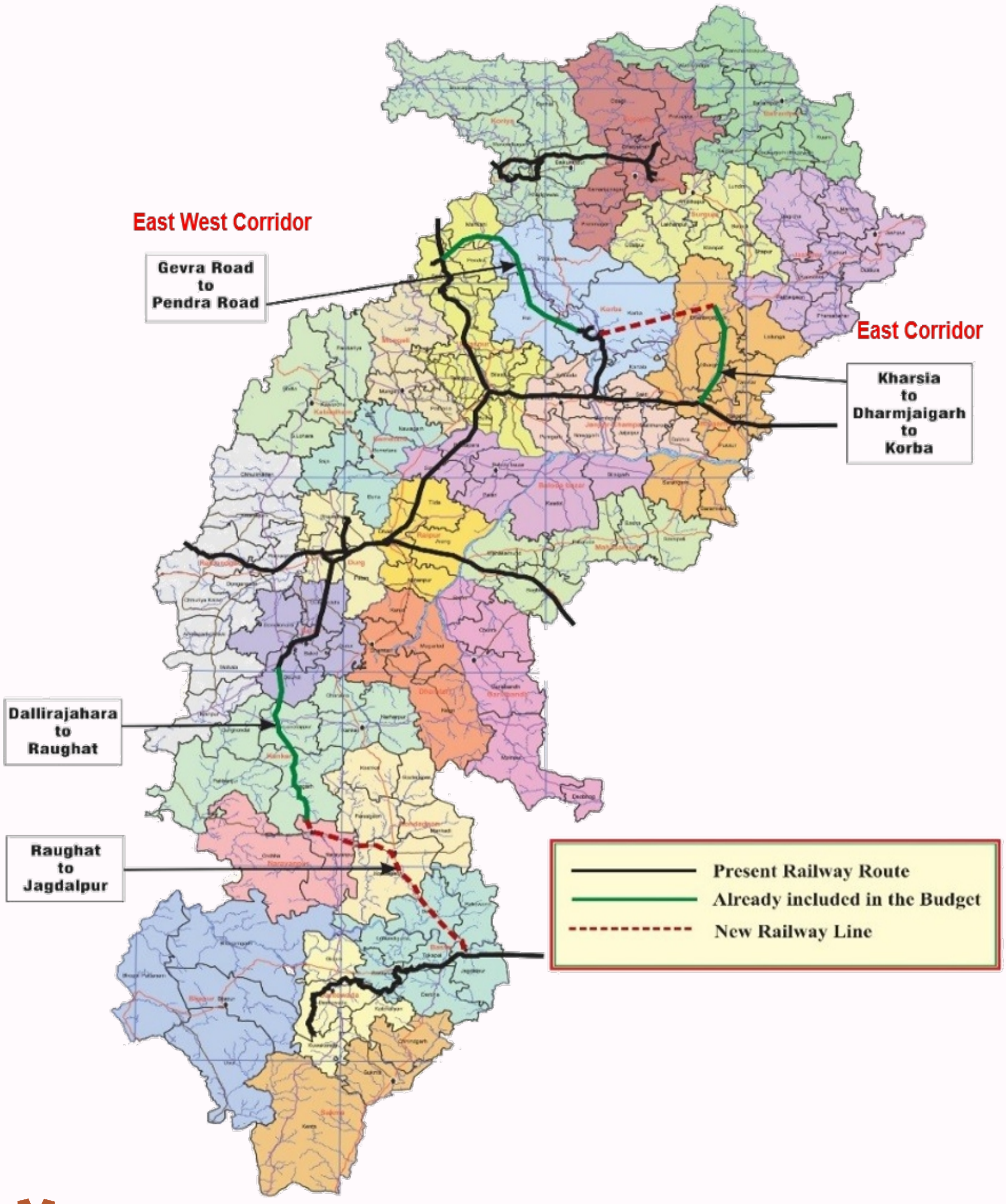

वर्तमान में राज्य में निम्नांकित रेलवे कॉरीडोर एवं रेल लाईन की स्थापना का कार्य प्रगति पर है-

(1) ईस्ट रेल कॉरीडोर -

ईस्ट रेल कॉरीडोर की स्थापना हेतु दिनांक 03.11.2012 को एम.ओ.यू. का निष्पादन एवं दिनांक 12.03.2013 को छत्तीसगढ़ शासन, एस.ई.सी.एल. व इरकॉन के इक्विटी पार्टनरशिप से ज्वाईंट वेन्चर कम्पनी का गठन किया गया है। दिनांक 18.01.2014 को परियोजना के क्रियान्वयन का अनुबंध इरकॉन कम्पनी के साथ किया गया है। यह परियोजना दो चरणों में क्रियान्वित की जा रही है। ईस्ट रेल कारीडोर (Phase-1) खरसिया से धर्मजयगढ़ के मध्य तथा ईस्ट रेल कारीडोर (Phase-2) धर्मजयगढ़ से कोरबा के मध्य बनाया जा रहा है।

ईस्ट रेल कॉरीडोर (Phase-1) का क्षेत्र खरसिया–धरमजयगढ़– घरघोड़ा–डोंगा महूआ, (124.70 कि.मी) है व इस कॉरीडोर में 08 स्टेशन (गुरदा, छाल, घरघोड़ा, कोरीछापर, कुरूनकेला, धरमजयगढ़ रोड, डोलेसरा एवं पेलमा) हैं। इसकी परियोजना लागत रूपये 3054.24 करोड़ है। वर्तमान में निरंतर मालगाड़ी का परिचालन इस रेल लाईन के द्वारा किया जा रहा है। इस चरण में भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का कार्य लगभग 98 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।

ईस्ट रेल कॉरीडोर (Phase-2) धर्मजयगढ़ से उरगा के मध्य 62.5 कि.मी. लंबाई में रूपये 1686 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। परियोजना की स्थापना हेतु भू–अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण हो गई है। इसके मार्च 2026 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(2) ईस्ट-वेस्ट रेल कॉरीडोर-

ईस्ट–वेस्ट रेल कॉरीडोर की स्थापना हेतु दिनांक 03.11.2012 को एम.ओ.यू. का निष्पादन एवं दिनांक 25.03.2013 को छत्तीसगढ़ शासन, एस.ई.सी.एल. व इरकॉन के इक्विटी पार्टनरशिप से ज्वाईंट वेन्चर कम्पनी का गठन किया गया है। दिनांक 05.04.2014 को परियोजना के क्रियान्वयन का अनुबंध इरकॉन के साथ किया गया है। इसकी परियोजना लागत रूपये 4970 करोड़ है।

परियोजना की स्थापना हेतु भू–अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण हो गई है। 155.36 किमी. में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

ईस्ट–वेस्ट रेल कॉरीडोर का क्षेत्र गेवरा–पेण्ड्रा रोड, उरगा–कुसमुण्डा (155.36 कि.मी.) है व इस कॉरीडोर में 09 स्टेशन (सुरकछार, कटघोरा, बिन्झारा, पुटुवा, मटिनि, सेन्डुगढ़, पुटी पखाना, भण्डी, धनगवां) स्थापित होंगी। परियोजना की भौतिक प्रगति 55.55 प्रतिशत एवं वित्तीय प्रगति 50.45 प्रतिशत है।

उक्त दोनों कॉरीडोर के बन जाने से सुदूर आदिवासी अंचलों में यात्री परिवहन में आसानी के साथ–साथ माल परिवहन भी प्रारंभ करना संभव होगा।

(3) दल्ली राजहरा-रावघाट रेललाईन परियोजना -

इस परियोजना में रेल्वे लाईन की लम्बाई 95 कि.मी. है। इसमें से दल्ली राजहरा एवं ताड़ोकी के मध्य 77.5 किमी. रेल लाईन का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है तथा ट्रेन परिचालन भी आरंभ कर दिया गया है।

इस रेललाईन परियोजना की अनुमानित निर्माण लागत रूपये 1627.56 करोड़ है। इस रेललाईन के शेष हिस्से में निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है ।

(4) रावघाट-जगदलपुर परियोजना -

इसकी परियोजना लागत रू. 2538.60 करोड़ है व परियोजना में एन.एम.डी.सी., स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि0, इरकॉन एवं छत्तीसगढ़ शासन की भागीदारी है। परियोजना की स्थापना हेतु स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) कम्पनी – बस्तर रेल्वे प्रा.लि. गठित की गई है।

रावघाट–जगदलपुर परियोजना की लम्बाई 140 कि.मी है। परियोजना की स्थापना हेतु ट्रेक एलाईनमेंट, लोकेशन सर्वे व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रेल्वे लाईन हेतु भूमि अधिग्रहण अंतिम चरण में है। डी.पी.आर. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। बस्तर रेलवे प्राईवेट लिमिटेड (बी.आर.पी.एल.) बोर्ड द्वारा उक्त रेल परियोजना को रेलवे के माध्यम से क्रियान्वयन करने हेतु रेल मंत्रालय को दिनांक 13.09.2022 को पत्र प्रेषित किया गया है। रेलवे (MoR) द्वारा तदाशय की सैद्धान्तिक सहमति भी प्रदान की गई है।

(5) चिरमिरी- नागपुर रोड हाल्ट रेल लिंक परियोजना -

इसकी परियोजना लागत रू. 241 करोड़ है व परियोजना में भारतीय रेलवे एवं छत्तीसगढ़ शासन की 50:50 की भागीदारी है। परियोजना का क्रियान्वयन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा किया जाना है। छ.ग. शासन द्वारा राज्यांश के संबंध में पुष्टि उपरांत इस लाईन के निर्माण हेतु दक्षिण मध्य पूर्व रेलवे द्वारा सर्वे की कार्यवाही शीघ्र ही पूर्ण होना अपेक्षित है।

चिरमिरी–नागपुर रोड हाल्ट रेल लिंक परियोजना की लम्बाई 17 कि.मी है। इस रेल लिंक की स्थापना से मनेन्द्रगढ़ के निवासियों को रेल आवागमन हेतु अतिरिक्त मार्ग प्राप्त होगा, जिससे मुख्य मार्ग की यात्री ट्रेनों की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

(6) छत्तीसगढ़ रेल्वे कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा चिन्हांकित रेल परियोजना :-

राज्य में रेलवे नेटवर्क के विकास हेतु दिनांक 09 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ शासन व भारत सरकार, रेल मंत्रालय के मध्य एक एम.ओ.यू. निष्पादित किया गया है। एम.ओ.यू. के क्रियान्वयन हेतु छ.ग. शासन व रेल मंत्रालय की एक संयुक्त उपक्रम कंपनी "छत्तीसगढ़ रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड" भी गठित

की गयी है, जिसमें राज्य शासन तथा रेल मंत्रालय (भारत सरकार) की भागीदारी क्रमशः 51 प्रतिशत एवं 49 प्रतिशत है। एम.ओ.यू. के क्रियान्वयन हेतु संयुक्त उपक्रम अनुबंध दिनांक 04.08.2016 को निष्पादित किया गया है।

संयुक्त उपक्रम कंपनी द्वारा प्रथम चरण में निम्नांकित चार रेलवे परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु चयन किया गया है, जो एस.पी.व्ही. के माध्यम से क्रियान्वित हो सकेगी। इसके अतिरिक्त संयुक्त उपक्रम कंपनी को छ.ग. शासन द्वारा कटघोरा – डोंगरगढ़ एवं खरसिया–नया रायपुर –परमलकसा रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 121.79 करोड़ राशि भी उपलब्ध कराई गई है।

1. कटघोरा – तखतपुर – मुंगेली – कवर्धा – खैरागढ़ –डोंगरगढ़ (295 किमी.) रेल परियोजना हेतु डी.पी.आर. रेल मंत्रालय से अनुमोदित है। परियोजना की स्वीकृत लागत रू. 5950.47 करोड़ है। एसपीव्ही हेतु सी.आर.सी.एल., महाजेनको एवं ए.सी.बी.आई.ई.एल. के मध्य सहमति हुई एवं एसपीव्ही छत्तीसगढ़ कटघोरा – डोंगरगढ़ रेलवे लिमिटेड का गठन किया गया।रेल मार्ग हेतु भू–अर्जन के लिए 195 ग्रामों का 20 A एवं 179 ग्रामों का 20 E में प्रकाशन एवं लोक सूचना पूर्ण हो चुकी थी, परन्तु अपरिहार्य कारणों एवंजन सामान्य की मांग के आधार पर परियोजना के एलाइनमेंट के एक भाग में संशोधन विचाराधीन होने के कारण भू–अर्जन प्रक्रिया व्यपगत हो गई।

   जन सामान्य की मांग के आधार पर परियोजना के एलाइनमेंट के एक भाग में संशोधन पर विचार हेतु फिजिबिलिटी स्टडी का कार्य पूर्ण एवं रिपोर्ट प्राप्त हुआ। उक्त रिपोर्ट के आधार पर एलाइनमेंट कनेक्टिविटी विकल्प – 1 (कटघोरा – रतनपुर – तखतपुर – मुंगेली – पंडरिया – पांडातराई – बोड़ला – कवर्धा – खैरागढ़ – डोंगरगढ़) पर सहमति बनी।

2. खरसिया–बलौदाबाजार –नया रायपुर – परमलकसा (325 किमी) हेतु रेल मंत्रालय से सैद्धांतिक सहमति प्राप्त है। संभावित परियोजना लागत रू. 8258.03 करोड़ है। एसपीव्ही हेतु संभावित उपयोगकर्ताओं से विचार–विमर्श जारी है। परियोजना PPP मोड के तहत कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है।इस हेतु हितधारकों की पहचान का कार्य प्रगति पर है। डीपीआर अनुमोदन, हितधारकों की पहचान एवं परियोजना हेतु निवेश प्राप्त होने उपरान्त भू–अर्जन प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी।

3. अंबिकापुर बरवाडीह रेलवे कॉरिडोर (182 किमी)। प्रारंभिक सर्वेक्षण पूर्ण। मात्र 100 किमी लम्बाई में एस.ई.सी.एल. के कोयले की खदानें स्थित होने से एस.ई.सी.एल. ही एकमात्र हितधारक है। परन्तु अन्य परियोजनाओं में निवेश के कारण, इस कॉरिडोर में निवेश करने में एस.ई.सी.एल. ने कठिनाई व्यक्त की। रेलवे बोर्ड द्वारा एस.ई.सी.आर. को अंबिकापुर – बरवाडीह रेल परियोजना हेतु फाईनल लोकेशन सर्वे करने हेतु निर्देशित किया गया है।

तदनुसार, सीआरसीएल बोर्ड द्वारा उक्त परियोजना को सीआरसीएल द्वारा क्रियान्वयन के लिए चिन्हित परियोजनाओं की सूची से वर्तमान में बाहर कर दिया गया है।

4. परसा – मतीन रेलवे कॉरिडोर (54 किमी)। प्रारंभिक सर्वेक्षण पूर्ण। परियोजना एलाईनमेंट एवं संबंधित कोल ब्लॉक प्रस्तावित लेमरू एलीफैंट रिज़र्व के दायरे में आ रही हैं अतः सीआरसीएल बोर्ड द्वारा परियोजना को कार्यान्वयन के लिए चिन्हित परियोजनाओं की सूची से वर्तमान में बाहर करने का निर्णय लिया गया है।

सार्वजनिक उपक्रम विभाग

दायित्व एवं कर्तव्य

सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों की कार्य प्रणाली से संबंधित पथ–प्रदर्शन के व्यवस्थापन, सामान्य समस्याएं एवं रिपोर्टिंग पद्धतियों के समन्वय का कार्य किया जाता है। राज्य में कुल 25 सार्वजनिक उपक्रम कार्यशील हैं। जिनकी जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	सार्वजनिक उपक्रम का नाम	कार्यरत होने की तिथि
1	छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	17 अप्रैल 2001
2	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित, रायपुर	15 नवम्बर 2000
3	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, रायपुर	15 नवम्बर 2000
4	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी, रायपुर	15 नवम्बर 2000
5	छत्तीसगढ़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	26 फरवरी 2001
6	छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	13 मार्च 2001
7	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, रायपुर	01 मई 2001
8	छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	07 जून 2001
9	छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन, रायपुर	02 मई 2002
10	छत्तीसगढ़ राज्य निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, रायपुर	19 जुलाई 2004
11	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, रायपुर	27 जुलाई 2005
12	सीएमडीसी. आईसीपीएल. कोल लिमिटेड रायपुर	11 अप्रैल 2008
13	सीएसपीजीसीएल. एईएल. परसा कॉलिरिज लिमिटेड	06 दिसम्बर 2010
14	छत्तीसगढ़ राज्य मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	07 दिसंबर 2010
15	छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	07 नवम्बर 2011
16	छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	14 दिसंबर 2011
17	छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	11 नवम्बर 2014
18	रायपुर स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	16 सितंबर 2016
19	बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, बिलासपुर	19 सितंबर 2016
20	छ.ग. रेल्वे कार्पोरेशन लिमिटेड	07 दिसम्बर 2016
21	छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	23 फरवरी 2017
22	नया रायपुर स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन लिमिटेड, जिला रायपुर	16 सितंबर 2017
23	छत्तीसगढ़ रूरल हाऊसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर	15 मार्च 2018

भाग–2

बजट

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को उद्योग विभाग के अंतर्गत आयोजना मद में केवल उद्योग संचालनालय को बजट प्राप्त होता है, यह बजट मांग संख्या–11, मांग संख्या–41 तथा मांग संख्या–64 के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के संचालन हेतु प्राप्त होता है। आयोजना मद में वर्ष 2023–24 का योजनावार बजटीय प्रावधान एवं आबंटित राशि निम्नानुसार है :–

पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं तथा वाष्पयंत्र निरीक्षकालय को मांग संख्या–11 के अंतर्गत आयोजनेत्तर मद में बजट प्राप्त होता है। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड को उद्योग संचालनालय को आबंटित मद में से कार्यालयीन व्यय का भुगतान किया जाता है।

क्रमांक	योजना क्रमांक	योजना का नाम एवं मांग संख्या क्रमांक	बजट प्रावधान वर्ष 2023–24 (लाख में)	31 दिसम्बर 2023 तक स्वीकृत राशि (लाख में)
1	2	3	4	5
1	3800	लघु उद्योगों की इनामी योजना	10.00	10.00
2	6857	उद्योगों को ब्याज अनुदान – 11	3400.00	2483.33
3	6857	उद्योगों को ब्याज अनुदान – 41	800.00	800.00
4	6857	उद्योगों को ब्याज अनुदान – 64	200.00	200.00
5	7825	स्टार्टअप छत्तीसगढ़	200.00	99.00
6	1464	जिला उद्योग केन्द्र (2851)	3166.90	3166.90
7	1175	ग्रामीण उद्यमी विकास प्रशिक्षण योजना	15.00	15.00
8	3370	संचालनालय उद्योग (2852)	2124.25	2124.25
9	5452	निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की स्थापना	75.00	75.00
10	4826	आई.एस.ओ. 9000 के अन्तर्गत व्यय की प्रतिपूर्ति	1.00	1.00
11	5448	प्रौद्योगिकी प्रौन्नति कोष की स्थापना	0.10	0.10
12	5451	अंशपूंजी सहायता योजना – 11	350.00	350.00
13	5451	अंशपूंजी सहायता योजना – 41	80.00	80.00
14	5451	अंशपूंजी सहायता योजना – 64	130.00	130.00
15	6475	छ.ग. औद्योगिक नीति के अंतर्गत प्रतिपूति अनुदान	15000.00	0.00
16	711	औद्योगिक परियोजना तथा सर्वेक्षण की योजना	3.00	3.00

क्रमांक	योजना क्रमांक	योजना का नाम एवं मांग संख्या क्रमांक	बजट प्रावधान वर्ष 2023–24 (लाख में)	31 दिसम्बर 2023 तक स्वीकृत राशि (लाख में)
1	2	3	4	5
17	8928	मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना – 11	150.00	150.00
18	8928	मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना – 41	115.00	115.00
19	8928	मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 64	36.00	36.00
20	9068	औद्योगिक इकाईयों को लागत पूंजी अनुदान 11	15800.00	15800.00
21	9068	औद्योगिक इकाईयों को लागत पूंजी अनुदान 41	5000.00	5000.00
22	9068	औद्योगिक इकाईयों को लागत पूंजी अनुदान 64	2000.00	2000.00
23	5385	नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना 11–(2852)	1900.00	1900.00
24	5385	नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना 11–(4851)	7000.00	7000.00
25	5385	नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना 11–(2852)	1550.00	1550.00
26	5385	नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना 41–(4851)	550.00	550.00
27	7784	निजी औद्योगिक क्षेत्र/पार्कों के लिये अधोसंरचना अनुदान	1.00	1.00
28	8890	खाद्य प्रसंस्करण सहायता अनुदान	1300.00	1300.00
29	6455	प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना	4718.62	4718.62
30	7396	मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति अनुदान	70.00	70.00
31	8237	अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लिए अनुदान (IITF)	200.00	200.00
32	9283	प्रतियोगिताएं, संगोष्ठियां, प्रदर्शनियां तथा प्रचार	2000.00	2000.00
33	6377	फूड पार्क की स्थापना	5000.00	5000.00
34	6381	जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क की स्थापना	50.00	50.00
35	6742	औद्योगिक पार्कों के लिये अनुदान	1000.00	1000.00
36	6888	छत्तीसगढ़ व्यापार केन्द्र की स्थापना	901.00	901.00
37	7480	जिला उद्योग कार्यालय भवन की स्थापना	1.00	1.00
38	7909	औद्योगिक केन्द्रों का जीर्णोद्धार	200.00	200.00
39	8983	औद्योगिक क्षेत्र में अधोसंरचना उन्नयन कार्य (26–006 वृहद निर्माण)	2000.00	2000.00
	8983	34– वाहनों का क्रय, 001–प्रतिस्थापन	15.00	15.00

क्रमांक	योजना क्रमांक	योजना का नाम एवं मांग संख्या क्रमांक	बजट प्रावधान वर्ष 2023–24 (लाख में)	31 दिसम्बर 2023 तक स्वीकृत राशि (लाख में)
1	2	3	4	5
40	9219	भू–अर्जन तथा भूमि विकास क्षतिपूर्ति का भुगतान		
	#15	डिक्रीधन का भुगतान	5.00	5.00
	#31	क्षतिपूर्ति भुगतान अधिग्रहित भूमि मुआवजा	910.00	910.00
41	9220	सर्वे तथा डिमार्केशन 9	5.00	5.00
42	5451	सी–मार्ट 11– 6621	300.00	0.00
43	5451	सी–मार्ट 41– 6621	200.00	0.00
		महायोग–	**78532.87**	**62015.20**

कारखाने में कार्यरत एक कुशल श्रमिक

भाग – 3

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अंतर्गत विभिन्न घटकों/निगम/बोर्ड की स्वीकृत पद संरचना

परिशिष्ट -एक

अ - उद्योग संचालनालय

क्र.	पदनाम	पद संख्या	टीप
1.	उद्योग संचालक	01	अखिल भारतीय सेवा संवर्ग
2.	अपर संचालक	04	02 उद्योग संचालनालय 01 प्रतिनियुक्ति हेतु सीएसआईडीसी में 01 प्रतिनियुक्ति हेतु एसआईपीबी में
3.	संयुक्त संचालक	08	02 उद्योग संचालनालय 05–सीएसआईडीसी 01–एसआईपीबी
4.	संयुक्त संचालक (वित्त)	01	01 कोष एवं लेखा सेवा से प्रतिनियुक्ति पर
5.	उप संचालक	18	11 उद्योग संचालनालय 05–सीएसआईडीसी 02–एसआईपीबी
6.	सहायक संचालक	27	12 उद्योग संचालनालय 10–सीएसआईडीसी 02–एसआईपीबी 01–जेल विभाग 02–ग्रामोद्योग
7.	सहायक प्रबंधक	14	12 उद्योग संचालनालय 02 प्रतिनियुक्ति पद एसआईपीबी में
8.	लेखा अधिकारी सहायक लेखाधिकारी	03	02 कोष एवं लेखा सेवा से प्रतिनियुक्ति पर
9.	शीघ्रलेखक वर्ग–1	03	–
10.	शीघ्रलेखक वर्ग–2	06	05 उद्योग संचालनालय 01 प्रतिनियुक्ति पर एसआईपीबी में

क्र.	पदनाम	पद संख्या	टीप
11.	शीघ्रलेखक वर्ग–3	12	–
12.	अधीक्षक	01	–
13.	सहायक अधीक्षक	01	–
14.	सहायक वर्ग–1	10	–
15.	सहायक वर्ग–2/लेखापाल	10	–
16.	स्टेनोटायपिस्ट/सहायक वर्ग–3	24	–
17.	जूनियर ऑडिटर	03	–
18.	कम्प्यूटर आपरेटर	12	–
19.	वाहन चालक (नैमितिक)	12	–
20.	वाहन चालक	01	–
21.	दफ्तरी	04	–
22.	जमादार	02	–
23.	भृत्य/चौकीदार	18	–
24.	भृत्य (कलेक्टर दर पर)	09	–
25.	चौकीदार (कलेक्टर दर पर)	02	–
26.	प्रोसेस सर्वर (कलेक्टर दर पर)	03	01–एसआईपीबी के लिये
	योग	**209**	

ब- मैदानी कार्यालय (जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र)

क्र.	पदनाम	पद संख्या
1.	मुख्य महाप्रबंधक	06
2.	महाप्रबंधक	37
3.	प्रबंधक	80
4.	सहायक प्रबंधक	136
5.	शीघ्रलेखक वर्ग–1	04
6.	शीघ्रलेखक वर्ग–2	14
7.	शीघ्रलेखक वर्ग–3	33
8.	सहायक अधीक्षक	03
9.	सहायक वर्ग–1	36
10.	सहायक वर्ग–2/लेखापाल	82
11.	स्टेनोटायपिस्ट/सहायक वर्ग–3	92
12.	कम्प्यूटर आपरेटर	27

क्र.	पदनाम	पद संख्या
13.	वाहन चालक (नैमितिक)	24
14.	जमादार	27
15.	भृत्य/चौकीदार	78
16.	चौकीदार (कलेक्टर दर पर)	18
	योग	**697**

व्यावसायिक परिसर सी.एस.आई.डी.सी., रायपुरा चौक, रायपुर

परिशिष्ट- दो

पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं की स्वीकृत पद संरचना–

अ- मुख्यालय

क्र.	पदनाम	पद संख्या
1.	रजिस्ट्रार	1
2.	उप पंजीयक	1
3.	सहायक पंजीयक	2
4.	निरीक्षक	3
5.	सहायक अधीक्षक	1
6.	ऑडिटर	3
7.	स्टेनोग्राफर	1
8.	सहायक ग्रेड–2	2
9.	सहायक ग्रेड–3	3
10.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	1
11.	स्टेनोटॉयपिस्ट	2
12.	दफ्तरी	1
13.	भृत्य	3
14.	प्रोसेस सर्वर	2
15.	चौकीदार/फर्राश	2
16.	वाहन चालक	1
	योग	**29**

ब - मैदानी कार्यालय (सहायक पंजीयक बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर एवं सरगुजा)

क्र.	पदनाम	पद संख्या
1.	सहायक पंजीयक	4
2.	निरीक्षक	4
3.	ऑडिटर	4
4.	सहायक ग्रेड–2	4
5.	सहायक ग्रेड–3	4
6.	भृत्य	4
7.	प्रोसेस सर्वर	4
8.	चौकीदार/फर्राश	4
	योग	**32**

परिशिष्ट- तीन

वाष्पयंत्र निरीक्षकालय की स्वीकृत पद संरचना–

क्र.	पदनाम	पद संख्या
1.	मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	1
2.	उप मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र	2
3.	वरिष्ठ निरीक्षक वाष्पयंत्र	3
4.	निरीक्षक वाष्पयंत्र	6
5.	सहायक अधीक्षक	1
6.	सहायक वर्ग–1	2
7.	सहायक वर्ग–2	2
8.	सहायक वर्ग–3	5
9.	शीघ्र लेखक वर्ग–3	1
10.	लेखापाल	1
11.	स्टेनोटायपिस्ट	1
12.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	1
13.	वाहन चालक	1
14.	भृत्य	4
15.	चौकीदार	1
	योग	**32**

राज्य में स्थापित ऊन रोल्स पर आधारित औद्योगिक इकाई

राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की स्वीकृत पद संरचना–

क्र.	पदनाम	पद संख्या
1.	संयोजक	1
2.	अपर संचालक	1
3.	संयुक्त संचालक	1
4.	उप संचालक	2
5.	सहायक संचालक	2
6.	सहायक प्रबंधक	4
7.	लेखापाल	1
8.	सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर	1
9.	स्टेनोग्राफर (हिन्दी)	1
10.	सहायक वर्ग–2	1
11.	सहायक वर्ग–3	1
12.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	1
13.	भृत्य	2
14.	चौकीदार	1
	योग	**20**

कारखाने में कार्य करती हुई महिलाएं (महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण)

परिशिष्ट- पांच

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन की स्वीकृत पद संरचना–

क्रं.	पदनाम	पद संख्या	टीप
1	प्रबंध संचालक	01	अखिल भारतीय सेवा से प्रतिनियुक्ति पर
2	कार्यपालक संचालक	01	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से प्रतिनियुक्ति हेतु
3	उप महाप्रबंधक	01	डाईंग केडर
4	मुख्य महाप्रबंधक	05	05 पद वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से प्रतिनियुक्ति हेतु
5	महाप्रबंधक	*17	05 पद वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से प्रतिनियुक्ति हेतु * आदेश क्रमांक एफ 1–8/2014/11/6 दिनांक 07.03.2015 के तहत् 05 सांख्येत्तर पद स्वीकृत किया गया है ।
6	कंपनी सचिव	01	01 पद मुख्यालय हेतु
7	प्रबंधक	*30	10 पद वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से प्रतिनियुक्ति हेतु * आदेश क्रमांक एफ 1–8/2014/11/6 दिनांक 07.03.2015 के तहत् 10 सांख्येत्तर पद स्वीकृत किया गया है ।
8	प्रबंधक (एम.आई.एस.)	01	पदोन्नति/सीधी भर्ती, विपणन प्रभाग में प्रोग्रामर के रुप में स्वीकृत
9	सहायक प्रबंधक	24	–
10	सहायक प्रबंधक (एम.आई.एस.)	02	01 पद मुख्यालय/ 01 पद विपणन प्रभाग हेतु
11	सहायक प्रबंधक तकनीकी/निरीक्षक	03	–
12	तहसीलदार/ नायब तहसीलदार	01	राजस्व विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
13	शीघ्रलेखक वर्ग–1	01	—
14	शीघ्रलेखक वर्ग–2	02	—

क्रं.	पदनाम	पद संख्या	टीप
15	शीघ्रलेखक वर्ग–3	03	* आदेश क्रमांक एफ 1–8/2014/11/6 दिनांक 07.03.2015 के तहत् 01 सांख्येत्तर पद स्वीकृत किया गया है ।
16	सहायक लेखाधिकारी	03	–
17	लेखापाल	01	डाईंग केडर
18	लेखापाल	08	—
19	केशियर	01	—
20	सहायक वर्ग–1	18	–
21	फील्ड ऑफिसर	01	डाईंग केडर
22	सहायक वर्ग–2	24	—
23	सहायक वर्ग–3	36	—
24	सेल्समेन	03	डाईंग केडर
25	स्टोर कीपर	02	डाईंग केडर
26	डाटा एंट्री ऑपरेटर	10	–
27	पी.बी.एक्स.ऑपरेटर	01	डाईंग केडर
28	तकनीशीयन	03	—
29	पटवारी	02	—
30	वाहन चालक	15	—
31	भृत्य	23	—
32	माली	02	—
33	दफ्तरी	01	डाईंग केडर
34	मुख्य अभियंता	01	प्रतिनियुक्ति
35	कार्यपालन अभियंता	04	—
36	सहायक अभियंता	08	—
37	कनिष्ठ अभियंता	16	—
38	मानचित्रकार	01	—
39	सहायक मानचित्रकार	02	—
40	अनुरेखक	02	—
41	सहायक फोरमेन	01	डाईंग केडर

क्रं.	पदनाम	पद संख्या	टीप
42	मशीन आपरेटर	02	डाईंग केडर
43	कारपेंटर	01	डाईंग केडर
44	समयपाल	16	—
45	रोड रोलर चालक	03	डाईंग केडर
46	पंप आपरेटर–1	05	—
47	पंप आपरेटर–2	03	—
48	प्लम्बर	05	—
49	फिल्टर प्लांट आपरेटर /मीटर रीडर	13	—
50	इलेक्ट्रीशीयन	03	—
51	लाईनमेन	06	—
52	हेल्पर	44	डाईंग केडर
53	चौकीदार	20	—
54	कुशल श्रमिक	02	डाईंग केडर
55	टर्नर	01	डाईंग केडर
56	लेबर	02	डाईंग केडर
57	सहायक तकनीशीयन	02	आदेश क्रमांक एफ 1–8/2014/11/6 दिनांक 07.03.2015 के तहत् 02 सांख्येत्तर पद स्वीकृत किया गया है।
	योग	**410**	

राज्य में स्थापित एलॉय मेटल आधारित औद्योगिक संयंत्र

राज्य में स्थापित सायकल पार्क